After a scrutiny of these reports submitted by MECON, and taking into account the market situation as also the economic viability of implementation of these proposals, the Steel Authority of India has asked Durgapur Steel Plant to prepare proposals on the following lines:—

(i) Modification of the skelp mill to roll angles and special steels.

(ii) Installation of a new medium structure mill with or without facilities for rolling universal sections.

(iii) Modifications of the fish plate plant to suit the installation of a new cold forming unit utilising the skelp mill plant.

The above proposal will be considered by the concerned Board of Directors and if approved by them, sent to Government for further action.

National Minimum Wage Policy

92. SHRI N. H. KUMBHARE: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to refer to the reply to Starred Question 288 given in the Rajya Sabha on the 24th June, 1977 and state:

(a) whether Government have since taken a decision in regard to the formulation of the National Minimum Wage Policy; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

12 NOON

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications of the Ministry of Finance (Department of Revenue)

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Sir, on behalf of Shri H. M. Patel, I beg to lay on the Table, under section 159 of the Customs Act, 1962, a copy each (in English and Hindi) of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification Nos. 160-Customs and 161-Customs, dated the 20th July, 1977. [Placed in Library. *See* No. LT-761/77.]

Notifications of the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines)

SHRI BIJU PATNAIK: Sir, I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of section 28 of the Mines and Minerals (Regulations and Development) Act, 1957, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines):—

(i) Notification S.O. No. 2016, dated the 18th June, 1977. [Placed in Library. *See* No. LT-551/77.]

(ii) Notification S.O. No. 2120, dated the 25th June, 1977. [Placed in Library. *See* No. LT-634/77.]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported incident of burning alive of 3 Harijans in village Belich on May 27, 1977

SHRI N. H. KUMBHARE (Maharashtra): Sir, I beg to call the attention of the Minister of Home Affairs to the reported incident of burning alive of 13 Harijans in village Belchi, District Patna, Bihar, on May 27, 1977.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH): Sir, The unfortunate incident at village Belchi in District Patna on 27th May, 1977 in which 11 persons lost their lives has caused all of us deep concern and anguish.

[Shri Charan Singh]

According to the information received from the Government of Bihar, a mob of about 50—60 persons led by a criminal gang first reached the house of one Uday Sonar and shot him along with his two brothers Keso Sonar and Abdesh Sonar after dragging them out of their house. On learning about the presence of this armed mob, the other group led by the deceased Sidheshwar Paswan took refuge in the house of one Rohan Mehto. The mob tried to break the door but failed and ultimately they were successful in entering the house by breaking a hole in one of the walls. Sidheshwar Paswan and other seven deceased were brought out on gun-point and shot in cold blood. Thereafter, their bodies were burnt by the mob along with those of Uday Sonar and his two brothers. Among the victims were eight Harijans and three Sonar.

The Barh Police Station having jurisdiction was located 22 Kms. from the village and the first information was received by them through the Village Chowkidar at 12.30 P.M. The Officer in charge of the Police Station reached Belchi at about 6 P.M. when the bodies of the deceased had been practically burnt. The Government of Bihar have informed that the investigations in the case have been completed and 23 out of 29 accused have been arrested. For the apprehension of the two main absconders, a reward of Rs. 2.500 each has been announced. (A sum of Rs. 5,000 each has been given to the members of the families of the deceased.) Four Police Officers have been suspended for alleged negligence in connection with this incident and departmental proceedings are under way.

On the basis of investigations conducted, we were informed by the Government of Bihar that the incident arose out of long-standing rivalry between two gangs of criminals, who had been making attempts to liquidate each other. Serious misgivings were, however, expressed whether the investigation in regard to the motives of the crime had been thorough. A group of eight Members of Parliament visited the area on 2nd and 3rd July. When the matter was raised in the Legislative Assembly of Bihar on 8th July, the Chief Minister stated that he was awaiting the report of the fact-finding committee of the Members of Parliament. I received a copy of the report on the 14th of July. I have forwarded a copy of the report to the Chief Minister and have written to him, suggesting that the investigation so far conducted may be reviewed in the light of the facts brought out in the report of the fact-finding committee. We have also been informed that a committee of the members of the Bihar Legislative Assembly had been constituted to go into this matter.

There can be no two opinions about the dastardly crime that had been committed and no words of condemnation of such incidents can be too strong. I am confident that the Government of Bihar will arrange thorough investigations into the motives which led to the perpetration of this ghastly tragedy. I am also confident that the Government of Bihar will spare no efforts in ensuring not only that all persons suspected to be involved in the commission of these serious offences would be expeditiously and firmly dealt with according to the laws of the land, but also that all possible arrangements are made to prevent the recurrence of such incidents in future. Public servants who failed in the discharge of their duties will not be allowed to escape the consequences of their default. We will remain in touch with the Government of Bihar in regard to further developments.

SHRI N. H. KUMBHARE: Sir, the information which has now been laid before the House by the Minister of Home Affairs, I should say, represents a glaring contrast to what was stated by him in the Lok Sabha. Now the honourable Minister has very categorically stated and, I should say, given the full particulars of the incident according to which those victims were taken out of the house, they were shot

dead and their bodies were burnt. As against this what was stated earlier represents entirely different facts. I will quote from the statement made by the Home Minister which says: "According to the information received from the Government of Bihar this was a case of clash"—I am laying emphasis on the word "clash"—"between two groups of hardened criminals having longstanding rivalry." This is one part. And it will be very relevant to consider another part which says: "The incident took place on 27th May, 1977 in which eight Harijans and three non-Harijans were killed in a clash." Eleven people were killed in the clash. And the version of the incident that took place as is now placed before us gives an entirely different story. My only submission is that what was stated earlier does not represent the factual position. It is not a question of discrepancy here and there. I do not think so. It gives an altogether different colour. I would say and I think the honourable Minister would agree with me, it is nothing but a distorted version. The information that was given earlier to the country as a whole, to the people as a whole, created an impression that this was the act of gangsters, dacoits and anti-social elements, and they killed each other. That was the impression. But what has been stated by the honourable Minister now shows, no, it is not that. I was also one of the Members who had occasion to make an on-the-spot study; along with other Members I also visited this spot. I am thus in a better position to say that what was stated earlier was nothing short of distortion. Now the question is, at that time . . .

SHRI CHARAN SINGH: With your permission, Mr. Deputy Chairman, may I request the honourable Member to read out the statement which I made earlier? About the way these people were murdered in my previous statement I used exactly the same words which I am using today—that three persons were killed in this manner and eight persons were killed in that manner.

SHRI N. P. CHAUDHARI (Madhya Pradesh): There is a change in the statement.

SHRI N. H. KUMBHARE: I have not said anything on my own. I am subject to correction if I have said something wrong. I have only quoted from the extract of the Home Minister's speech. I have read the actual words which are there. I am not speaking on my own. I cannot understand this because this is not something which has not been said. It is a matter of record. It was said in specific and in very clear terms that the Harijans were killed in a clash. The basic fact is how this murderous act was committed and how these people were killed. This is very basic. Therefore, I say a false statement was given. Whoever prepared it ultimately it was the Home Minister's statement. I do not know whether before the statement was made before the House any verification was done at the level of the Ministry. It is really a serious matter which has to be gone into in order to find out who is responsible for this event and the distorted version. That is the basic point.

I want to bring to the notice of the House through you, Sir, that what has been stated today by the Home Minister is the version which has been given to us by the District Magistrate and the authorities there. We had the occasion to discuss this matter with the Chief Secretary and the Inspector-General of Police. They definitely said that there was no clash. They were brought out, shot dead and burnt. Therefore, my submission is that this is a very serious matter. It is also my submission that a deliberate attempt is being made to give a coloured version so as to show to the country and the world at large that this is not a case where Scheduled Castes people were subjected to atrocities. It was because of the fact that they were Scheduled Castes this injustice was done to them. This is one part.

In respect of another point, namely, those victims who were killed, the

[Shri N. H. Kumbhare]
statement in the Lok Sabha had said something. That portion is omitted in today's statement. In the earlier statement it had been said that these people were also hardened criminals. This is also factually incorrect and false. These Scheduled Castes people were not hardened criminals. They were all landless persons. They were people working in the field and all the three families were virtually living hand to mouth. If they had been dacoits or criminals they would have had big buildings and land holdings. They were actually living hand to mouth. They had nothing to live on. For working in the field they were just getting some share. So, on that point also the information given is not correct.

Thirdly, it had also been said that there had been several encounters in in the past. That is also not mentioned in this statement, probably because they have since realised that it is very difficult for the Police to establish that they belonged to a gang of criminals and there were many encounters. On the contrary, an incident had taken place four days earlier. They made an attempt to kill the Scheduled Caste people. But the poor fellow escaped, no doubt.

SHRI N. P. CHAUDHARI: They were killed by the police also.

SHRI N. H. KUMBHARE : No. Another man was killed by the police. That means that four days earlier an attempt was made on the life of Sidheshwar, but he escaped. Surpassing all these things was the fact that those who were responsible for the firing were not arrested. Nobody was arrested. What I want to say is that if the police had been alert and diligent enough to book the culprits, this ghastly incident would not have happened and all this has happened when Bihar was under the President's Rule.

SHRI JAHARLAL BANERJEE (West Bengal): Let him resign . . .

(*Interruptions*)

SHRI N. H. KUMBHARE: Ultimately, it is the responsibility of the Union Government. So, what is the step that the Government is taking?

SHRI JAHARLAL BANERJEE: Let him resign.

SHRI N. H. KUMBHARE: I would, therefore, like to submit to the Home Minister through you, Sir, that this is a case in which the House has been misled, Parliament has been misled, and therefore, it is necessary to institute an inquiry to find out who is responsible for this. We have to locate the officers and we have to identify the officers who are responsible for giving a distorted version of the incident to Parliament and I think this is a very just demand and this is a very legitimate demand which the honourable Home Minister should concede.

SHRI N. P. CHAUDHARI: Why not?

SHRI CHARAN SINGH: Sir, the honourable Member who was just now speaking, if I understand him aright, meant to say that I made an incorrect statement and gave a distorted version of facts. That is not a fact. The fact is that I had used the exact words which had been received by the Union Government from the State Government in a teleprinter message...

(*Interruptions*)

SHRI N. P. CHAUDHARI: Who will be responsible for the wrong statement?...

(*Interruptions*)

SHRI CHARAN SINGH: That is different. (*Interruptions*)
Would you kindly hear me? Why don't you be patient? I am only relating the facts. Would you kindly have the patience to hear me

SHRI N. P. CHAUDHARI: By all means.

SHRI CHARAN SINGH: Then, why don't you hear me? This is a message received by us here on the 12th June, 1977. I am reading it out:

> "Reference your telephonic discussion enquiring about the views of the State Government about the suggestion for holding a judicial inquiry into the unfortunate incident of multiple murder on the 27th May, 1977 in the village Belchi of Patna District . . .".

We had suggested to the Bihar Government to hold a judicial inquiry and, in response to that suggestion of ours, this is the message which we have received and which I am now reading out before the House. The message goes on to say:

> ". . . Inquiries held by senior officers such as the Divisional Commissioner and the Deputy Inspector-General of Police (Range) have revealed that this incident was not in the nature of an atrocity on the Harijans, but was a clash between two fighting criminal gangs . . ."

(Interruptions)

Why don't you hear me... *(Interruptions)*... Then, I will sit down. I will sit down if you do not want to hear me, where is the question of shame in this?

SHRI N. P. CHAUDHARI: You have got nothing so say on this . . . *(Interruptions)* . . . You have got nothing to say.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY (Assam): He is reading out the message. Let him read it out.

SHRI CHARAN SINGH: I am repeating it now:

> ". . . Inquiries held by very senior officers such as the Divisional Commissioner and the Range Deputy Inspector-General of Police have revealed that this incident was not in the nature of any atrocity on the Harijans, but was a clash between two fighting criminal gangs who were trying to liquidate one another since long."

SHRI DEORAO PATIL (Maharashtra): Criminal gang?

SHRI CHARAN SINGH: That is different. It is different that this report was wrong. But it says that according to two senior officers, such and such was the nature of the incident. These are exactly the words that I had repeated in my statement.

> "Prompt investigation and supervision in the case has already resulted in the apprehension of 29 accused persons including the major culprit, Mahabir Mehto, and the matter is being vigorously pursued. Hence the State Government find that no further useful purpose would be served by holding a judicial inquiry into this action."

My point is that so far as the Union Government was concerned, it did all that it could. According to the Press reports, the nature of the crime was different from what they had reported. Upon this ws suggested: Hold a judicial inquiry. Then the message that I have just read out was received by us and our suggestion to hold a judicial inquiry was considered unnecessary by them... *(Interruptions)*

SHRI N. H. KUMBHARE: It was within the competence of this Ministry to hold an inquiry and appoint a commission. Why was the State Government asked to... *(Interruptions)*

SHRI CHARAN SINGH: It was open to the State Government also to appoint a commission. So it was suggested to them. But they did not do it. My point is that the word 'clash' used in the message was wrong. That is true. I admit it. But the question is whether I have done it deliberately. That is wrong . . . *(Interruptions)* All the passion being imported into it meant that I did it deliberately and twisted the version

[Shri Charan Singh]

of the incident. I want simply to say that there is nothing of the kind . Why should I twist the version?...

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order, please. Please resume your seat. We have a large number of Members who want to participate in this matter. I would seek the co-operation of the Memebrs...

(Interruptions)

SHRI CHARAN SINGH: We suggested to them that action should be taken now. There is the popular government there. They have already appointed a committee consisting of Members of the Assembly. They are going to the spot and the Chief Minister has said that he would take action after the report of the fact finding committee, consisting of Members of the Legislature, has been received. If he thinks it necessary, he will ask the officers concerned to explain. So far as the State Government, constituted at that time as it was of the Governor and his advisers, is concerned, they took prompt action. The incident took place on the 27th May. On the 29th May the District Magistrate and the Superintendent of Police went to the spot. On the 5th June, 6 days after that, higher officers—the D.I.G. and the Commissioner—went to the spot. And I, in my previous statement, said only what was contained in the reports and in the messeage of the Bihar Government. So I will repeat it that there could possibly be no motive on my part to understate a case at all, or to over-state it. A crime has been committed. Investigations are taking place. They have taken place. Twenty-nine persons have been challaned. Now, under the criminal law, motives are irrelevant. A man has been murdered. Whatever the motive may be, if the court holds the man guilty, that sentence is the only remedy. So we must now wait for whatever steps the Bihar Government takes.

श्री एन० पी० चौधरी : माननीय उपसभापति महोदय, इसको मैं देश का दुर्भाग्य मानता हूं कि एक ऐसा मन्त्री हमारे गृह विभाग को सम्भाले हुए है जिसके हाथों में हरिजनों के हितों की सुरक्षा नही है । यू० पी० में भी जब ये थे तब इन्होंने क्या किया कि पश्चिमी यू० पी० और हरियाणा मे हरिजनों के ऊपर जुल्म ढाये... *(Interruption)* ...सुनिए तो, आप घबराते क्यों है ? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, यह आरोप लगाना चाहता हूं ...

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (उत्तर प्रदेश) : यह कालिंग अटेंशन मोशन है, यह कोई डिबेट नहीं है । घबराने का सवाल नही है ।

श्री एन० पी० चौधरी : नही सुनेंगे । अन्यायी और अत्याचारी हो. हत्यारे हो । आप बैठ जाइये, तुम्हारी बात हम नहीं सुनेंगे ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : अन्याय को हम भी नहीं सुनेंगे ।

श्री एन० पी० चौधरी : उपसभापति महोदय, मैं कहना यह चाहता था कि इतनी बड़ी शर्मनाक घटना होने के बाद भी हमारे मन्त्री महोदय इस तरह इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं । उसके बाद, हमें आश्वासन दिया गया, लोकसभा में, समाचार पत्रों के माध्यम से, परन्तु उस घटना के बाद अगर आप देखेंगे तो किसी रोज कोई ऐसी अखबार खाली नहीं मिलती जिसमें हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार नहीं हुए हों । आज मैं बताना चाहता हूं, यह मेरे पास अखबार है । जिस समय मध्य प्रदेश में घटना हुई है, हरिजनों के ऊपर हमला हुआ है, हमारे प्रधान मन्त्री ने यू० पी० और बिहार के मुख्य मन्त्रियों को लिखा है कि यह बहुत गम्भीर मसला है—यह आपके प्रधान मन्त्री की बात मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने यह कहा है कि यह बहुत ही शर्म की बात है कि जनता पार्टी का

राज होने के बाद भी हम ऐसी घटनाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके ऊपर दिनो दिन अत्याचार हो रहा है। इससे ज्यादा आप के लिए शर्म की क्या बात हो सकती है जबकि आपके प्रधान मन्त्री स्वतः आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं।

मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि जिस जिले से ये आ रहे है, उस जिले में हरिजनों को बेदखल किया जा रहा है, वहा के डी० एम० ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को लिखा है...

डा० रामकृपाल सिंह (बिहार) : यह सवाल इससे कहां उठता है. यह स्पीच दी जा रही है।

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI LAL K. ADVANI): The hon. Member should be relevant.

(Interruptions)

श्री एन० पी० चौधरी : श्रीमन्, यह कोई मामूली विषय नहीं है इसलिए मैं नही बैठूंगा। मैं आपको पूरी बातें कहना चाहूंगा। मैं मेरठ की बात कहना चाहता हूं जहां से ये मन्त्री महोदय आए हुए हैं। वहां के डी० एम० ने वहां के चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि यहां के हरिजनों को बेदखल किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपके हाथ में हरिजनों के हित की सुरक्षा नहीं है, इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मन्त्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इस घटना को गम्भीर रूप दिया हुआ है, इस विभाग को उनके हाथों से छीनें और अपने हाथों में रखें।

माननीय उपसभापति महोदय, जो एक कमेटी संसद् सदस्यों की बैठायी गई थी मैं स्वतः उसमें सदस्य था। वहां पर जाकर मैंने जो कुछ देखा है और जो स्टेटमेंट यहां पर हमारे मन्त्री महोदय ने दिया है, उसमें बहुत अन्तर है, ये सब गलत चीजें हैं, और आपने स्वीकार किया--अभी मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया--कि जो कुछ भी बयान उन्होंने दिया है वहां के अधिकारियों से प्राप्त हुए बयान से है। इसमें ज़मीन आसमान का अन्तर है, वह बिल्कुल असंगत बयान है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों ने ये गलत बयान दिए हुए है उनके ऊपर उचित कार्यवाही कराएं; उनको सस्पेण्ड करें। एम०पीज़ जो हम लोग गए थे, उनकी एक रिपोर्ट है, उसकी कापी हम लोगों ने भेजी थी और मैं सदन की पटल पर रिपोर्ट की कापी रख रहा हूं, जिससे सदस्य देख सकें.. (*Interruptions*) यह कापी मैं टेबल मे रख रहा हूं।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे इन माननीय मन्त्री महोदय ने अपने बयान में लोक सभा में कहा--मै उसका एक्सट्रैक्ट पढ रहा हूं... (*Interruptions*). It was a clash between groups of hardened criminals having long standing rivalry. ठहरिए ज़रा, सब्र कीजिए और उसमें उन्होंने स्वतः यह कहा था कि 50-60 हमलावर थे। और उसके साथ, जब हम लोग स्पाट पर गए तो स्पाट पर हम लोगों को पता लगा कि वहां की महिलाएं जो हमलावर थी--घरों की महिलाओं ने उसमें भाग लिया--लकड़ी, कंडे और मिट्टी का तेल लाकर आग लगा दी थी और इस प्रकार गोली से मारे गए लोगों को उन्होंने आग से जलाने में सहायता दी। आप जानते है, कानून की मन्शा होती है जो गोली मारने वाला होता है, हत्या करने वाला होता है, जिस जुर्म के लिए अपराधी होता है, उसका सहायक भी उस जुर्म के लिये अपराधी माना जाता है। तो 50-60 ये हमलावर थे और उसके बाद वहां की 25 औरतों के नाम हैं। तो मैं आपसे कहना

[श्री एन० पी० चौधरी]

चाहता हूं, जब उसमें 75 अपराधी है तो आपने 29 अपराधियों को गिरफ्तार कर के या उनके खिलाफ चालान करके कैसे बन्द कर दिया ? मै आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके बयान में यह बात है तो 25 अपराधी ढूंढे जाने चाहिएं, उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए; वे महिलाएं जो रोकी थी उनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए थी, किसी तरह से उनको कोई सरक्षण नही दिया जाना चाहिए । उपसभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं वहा की जो पुलिस थी, चाहे वह बाढ़ पुलिस थाना था जिसके क्षेत्र में यह सबसोला पुलिस थाना था— वहां विलेज चौकीदार गया और उसने उसको रिपोर्ट दी कि यह घटना वहां घटित होने जा रही है—तो सबसोला के थानेदार ने कहा कि क्या हमें 500 रु० तुम दोगे ? जो आदमी जानकारी लेने गए थे उसने कहा हमारा कोई सम्बन्ध नही है, मै सूचना के लिए आया हूं, यदि आप सूचना नहीं देंगे तो एक लम्बी घटना हो जाएगी । उसके बाद 11 मील दूर पैदल वह दूसरे थाने में गया जिस क्षेत्र में यह आता था । वहां के थानेदार को भी उन्होंने कहा परन्तु वह 11 मील साइकिल पर या तांगे पर नहीं आ सका । वह 36 मील के लम्बे रास्ते से आया केवल इसलिये कि वह विलम्ब करना चाहता था । वहा के दोनों थानों की पुलिस उनसे मिली हुई थी और शाम को 6 बजे जब वह वहां पहुंचे तो उन का कत्लेआम हो चुका था और गरीबों के शव *(Interruptions)* मैं नही कहता कि मन्त्री महोदय को यह पता नही है । तो मै यह भी जानना चाहूंगा कि इसमे इतना विलम्ब क्यों हुआ । जब इतना गम्भीर मसला था और 11 मील का ही रास्ता था जिसको तय करके एक घंटे मे वहां पहुंचा जा सकता था तो पुलिस दरोगा 36 मील के रास्ते से क्यों गया । उसने इतना विलम्ब क्यों किस लिये किया इसकी इन्क्वायरी करानी होगी ।

मै एक बात और बताना चाहता हूं कि एक हफ्ते पहले से ही घटनायें हो रही थी । 19 तारीख को इन हमलावरों ने हमला किया परन्तु किसी तरह से वे गरीब लोग बच गये । फिर 22 तारीख को हमला किया गया और उस समय जंगलों में छिप कर इन गरीबों ने अपनी जान बचाई । इस घटना के बाद एक गरीब ग्वाला जिसका नाम सकल पासवान है, उसको मालूम नहीं था कि हमलावर गांव में आये हुए हैं। वह बाहर से आ रहा था । गांव में घुसा तो उसको गोली मार दी गयी । गोली उसके सीने के आर पार हो गयी और 25 दिन तक वह अस्पताल में रहा । पुलिस चौकी में उसकी रिपोर्ट है परन्तु शर्म की बात है कि आज तक एक भी व्यक्ति उसके केस में गिरफ्तार नही हुआ है । तो यह सब चीजें है । उसके बाद जो मुख्य घटना 27 को हुई उसकी सूचना वहां के एक महतो चौकीदार ने सब को दी, परन्तु वहां की पुलिस के कान में जूं भी नहीं रेंगी । तो मै कहना चाहता हूं कि इस तरह से काम चलने वाला नहीं है । आपके दिल में अगर उनके हितों की रक्षा की जरा सी भी बात है और उसमें आप को रुचि है तो मैं मांग करना चाहता हूं कि तो इस मामले की सत्यता को जनता के सामने लाने के लिये आप एक उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच करावें । यह मेरी पहली माग है ।

दूसरी मांग मैं यह करना चाहता हूं कि उसमें कम से कम 75 अपराधी होने चाहिये । केवल 29 अपराधियों पर चालान पेश किया गया है जिसमें से 23 पकडे गये है । सात अभी एब्सकांड कर रहे है । तो मै चाहता हूं कि 75 आदमियों को कोर्ट के सामने पेश किया जाय । मेरी तीसरी माग यह है कि वहां के मुख्य सचिव, गृह सचिव, आई० जी०, डी० आई० जी, कमिश्नर, डी० एम०, एस० पी० और डी० एस० पी० यह सब उससे सम्बन्धित है और इन्होंने इस मामले को छिपाया है । आपने जैसा बताया कि उनकी रिपोर्ट की

बेसिस पर आपने यह सारी जानकारी यहां दी है। वहां संसद् सदस्यों की एक कमेटी गयी थी उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी है। तो एक तरफ वह अपराधी अफसर हैं कि जिन्होंने इस मामले को छिपाया है और झूठी रिपोर्ट दी है दूसरी तरफ संसद् सदस्यों की रिपोर्ट है। आपको यह ज्ञान तो होना चाहिए कि दोनों में से कौन सी रिपोर्ट सही हो सकती है। संसद सदस्यों में आपकी पार्टी के संसदीय सेक्रेटरी श्री रामधन जी भी हम लोगों के साथ थे। उस रिपोर्ट की बात को आप मानेंगे या जो अपराधी अफसर हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है उसकी रिपोर्ट को आप सही मानेंगे। तो मैं मांग करना चाहता हूं कि आप वहां के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, आई०जी०, डी० आई०जी०, कमिश्नर, डी०एम०, स०पी०, डी० एस०पी० को अविलम्ब निलम्बित करें और उनके खिलाफ जांच करके उचित कार्यवाही करें।

दूसरी मांग मैं यह करना चाहता हूं कि प्रान्तीय सरकार ने बड़ी कृपा करके मृतकों के परिवारों को पांच, पांच हजार रुपया दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों की जान का मूल्य इतना ही है। हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मरने वालों को आप एक लाख रुपया देते हैं लेकिन इस तरह से जो लोग मरे हैं उनके परिवारों को आप पांच हजार रुपया ही दे रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति की जान की कीमत पांच हजार रुपया ही है और ऐसा आप घोषित कर दें तो दिल्ली की सड़कों पर दिन दहाड़े हत्यायें होंगी और पांच हजार रुपया कंपन्सेशन देकर लोग मुक्त हो जायेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके परिवारों को कम से कम 50 हजार रुपया मुआवजा दिया जाय और उनको रिहैबिलिटेट करने का प्रयत्न किया जाय। उनके पुनर्वास की आप कोई व्यवस्था करें। वहां पर जब हम गये तो गांव के लोगों में जो हरिजन थे और गरीब थे उनका कहीं पता नहीं लगा। वे गांव छोड़ कर भाग गये हैं। वह गांव में आते ही नहीं हैं और जब आते है तो वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं या दूसरे आदमी है जो जेल में भी हैं वे उनके पास खबर भिजवाते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ गवाही दी या पुलिस के खिलाफ गवाही दी तो उनकी भी वही गति की जायगी जो मृतकों की की गयी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पुनर्वास के साथ-साथ उनको उन की जान की सुरक्षा की गारंटी भी दी जाय और इस बात को देखा जाय कि उन गवाहियों पर किसी तरह का नाजायज दबाव न डाला जाय।

माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि केवल एक सवर्ण का हत्याकाण्ड हुआ था, राजन हत्याकाण्ड, जिसकी वजह से वहा के मुख्य मन्त्री को जाना पड़ा, वहां के आई० जी०, डी० आई० जी० और अनेक आफिसरों को जाना पड़ा। एक सवर्ण की जब हत्या हुई तो वहां पर ये कदम उठाये गये, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 11 हरिजन वहां पर दिन-दहाड़े गोली मार कर जला दिये गये उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई ? क्या आपके पास दो अलग-अलग मापदण्ड हैं इनको निबटने के लिए। अगर केरल सरकार यह कर सकती है, वहां के आई० जी० और डी० आई० जी० दूसरे अधिकारियों को सस्पेंड कर सकती है तो आप वहां के अधिकारियों को क्यों नहीं अरैस्ट करते, उनको क्यों नहीं अपराधी बनाते। उसी के साथ-साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करुणाकरन ने वहां पर इस्तीफा देकर, उस घटना की वजह से इस्तीफा देकर एक बहुत अच्छा उदाहरण, आदर्श हमारे सामने रखा, तो मेरी आपसे यह मांग है कि इस घटना से आपको शर्म आनी चाहिए और आप इस्तीफा दें।

उपसभापति महोदय, मैं इसके साथ ही रोज होती हुई घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यदि हम इस वर्ग के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो

[श्री एन० पी० चौधरी]

उनके साथ बहुत ही अन्याय करना चाहते हैं। मैं एक सूझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि यह चर्चा पहले इस सदन में और दूसरे सदन में भी आई थी कि जिस क्षेत्र में हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर अन्याय हों वहां के डी० एम०, एस० पी० को अविलम्ब निलम्बित करके, सस्पेंड करके उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। वह चर्चा ही होकर रह गई, कोई कार्यवाही उस पर नहीं हुई। परिणाम यह हुआ कि हम दिन-दहाडे देख रहे हैं कि उनकी हत्यायें हो रही हैं। तो मैं सुझाव के रूप में आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनायें होती है उस क्षेत्र के डी० एम०, एस० पी० के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करें और उनको सस्पेंड करें।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इन उचित मांगों के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई, आपने हमें पक्का आश्वासन नहीं दिया तो मैं यहां धरना देने के लिए अभी बैठ जाऊंगा। धरना इसलिए दूंगा कि आपके प्रधान मन्त्री महोदय ने कहा और पिछली लोक सभा में उन्होंने अन्यायों के विरुद्ध धरना दिया था। राजनारायण और रबीराय, आपके जनरल सेक्रेटरी ने इस हाउस में धरना दिया था। यदि आपने मुझे आश्वासन नहीं दिया, मुझे सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया तो मैं अभी और इसी वक्त यहां पर धरना दूंगा।

डा० रामकृपाल सिंह : कब से आप उनके फोलोवर बन गये ?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Since the hon. Member has removed the portfolio of Home Ministry from Shri Charan Singh . . . .

(*Interruptions*)

विपक्ष के नेता (श्री कमलापति त्रिपाठी): मान्यवर, इस सदन में पद्धति यह है कि जो मिनिस्टर इंचार्ज है कालिंग अटेंशन का वही उसका उत्तर दें। स्वयं गृह मन्त्री जी बैठे हुए हैं तो माननीय पटनायक जी को उनका प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं। वह स्वयं यहां पर मौजूद है, वही उसका उत्तर दें। यह तो पद्धति के विरुद्ध है कि मिनिस्टर इंचार्ज बैठा रहे और दूसरा कोई उत्तर दे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please. What the Leader of the Opposition has said is correct and I am sure the Home Minister. . .

SHRI BIJU PATNAIK: Is not any other Minister entitled to speak?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What the honourable Leader of the Opposition has said is corret that the Home Minister himself should reply and I am sure he would reply; but, at least, let us hear what Mr. Patnaik has to say.

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY (West Bengal): Let the Leader of the House intervene and explain why he wants Mr. Biju Patnaik to reply.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभापति जी, विरोधी पक्ष के नेता ने पोइंट आफ आर्डर नहीं कहा, लेकिन एक प्रकार से उन्होंने पोइट आफ आर्डर ही उठाया है। मैं समझाता हूं जो निर्णय उपसभापति जी ने दिया है वह उपयक्त है। इसका जो जवाब देंगे वह गृह मत्री ही देंगे लेकिन जिस प्रकार से कोई भी सदस्य बीच में अपनी बात कह सकता है, सबमिशन के रूप में कुछ कह सकता है उसी रूप में श्री पटनायक खड़े हुए . . . .

(*Interruptions*)

SHRI M. R. KRISHNA (Andhra Pradesh): In what capacity is he going to answer?

SHRI BIJU PATNAIK: I am a member of the Government.

(*Interruptions*)

श्री कमलापति त्रिपाठी: मान्यवर, मैं समझता हूं किसी नई पद्धति को जन्म न दिया जाए। तरीका यह रहा है कि कालिग अटेंशन मोशन का उत्तर मिनिस्टर इंचार्ज ही देता है और यही तरीका आज तक चलता रहा है। अगर आपने पटनायक जी को ऐसा करने दिया तो एक नई पद्धति खड़ी हो जाएगी। गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं उनके स्थान पर बीजू पटनायक जी उत्तर दें तो यह नई पद्धति खड़ी हो जाएगी जो मैं समझता हूं स्वीकार नहीं करनी चाहिये।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उनके स्थान पर जवाब देने की बात नहीं है वह तो अपनी जगह बोल रहे है।

(*Interruption*)

श्री योगेन्द्र शर्मा (बिहार) : इस कालिंग अटेंशन मे इतने नाम है कि अगर दूसरे मंत्री भी इसका जवाब देंगे तो जिन लोगो के नाम है उनको सवाल पूछने का मौका नही मिलेगा इसलिये पहले उनको पूछने का मौका मिलना चाहिये।

(*Interruption*)

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): May I make a submission? On an occasion like this when the Home Minister is to answer this Calling Attention Notice, I can understand if the Home Minister is not present here. I can also understand if the Home Minister is an old man and suddenly feeling weak, he asks his colleague to answer for him. But here is the Home Minister who is a seasoned Parliamentarian, who is very well capable of dealing with this House as well as the other House also and he has not requested you to let his colleague deputise for him. I cannot understand how any one of his colleagues can assume the right to answer on behalf of the Home Minister.

SHRI BIJU PATNAIK: No, I was not going to answer.

SHRI N. G. RANGA: It is not for him to raise any point of order. It is for the Home Minister who is capable of dealing with this problem and to meet the charges, whatever they are, that may be raised in this House. Therefore, it would be derogatory to the House as well as the Home Minister that any other Minister should stand up and deputise for him or the Leader of the House.

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI (Uttar Pradesh): On a point of order, Sir.

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.

(*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : मेरा पौइट आफ आर्डर है कि विरोधी पक्ष के नेता ने जो बात कही है।

(*Interruption*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is a point of order and I am permitting him to speak.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: No, it should not be allowed.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : विरोधी पक्ष के नेता ने जो बात कही है वह बात बिल्कुल सही है।

(*Interruptions*)

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Sir, I am on a point of order.

(*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपसभापति जी, मेरा कहना यह है कि विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने अभी जो बात कही है वह बिलकुल सही है। इस सदन की यही परम्परा रही है कि जिस विभाग से सबंधित सवाल हो उस विभाग के मंत्री जवाब देते है। इसलिए इस सवाल का जवाब भी गृह मंत्री जी को ही देना चाहिए।

श्रीमती सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र) : अगर गृह मंत्री जवाब नहीं दे सकते है तो उन्हें अपने मंत्री पद से रिजाइन कर देना चाहिए ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As I said earlier, this is a very important and delicate matter in which a large number of hon. Members are interested. Therefore, I would again seek the co-operation of all the Members to see that as many Members as possible ask questions that are relevant to the Calling Attention Motion. (*Interruptions*) Order please. I would request the hon. Members to kindly co-operate and I think the hon. Home Minister himself would answer the question.

श्री चरण सिंह : उपसभापति जी, मैं यह समझता हूं कि मेरे सहयोगी माननीय श्री पटनायक को सदन में बोलने का उसी तरह से अधिकार है जिस तरह से उधर के सदस्यों को बोलने का अधिकार है ....

(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे कृपया शांत रहें और हर एक को सुनने का मौका दें ।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: How can he make that comment?

श्री चरण सिंह : उपसभापति जी, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि माननीय श्री पटनायक को सदन में बोलने का उसी तरह से अधिकार है जिस तरह से उधर से बोलने वाले सदस्यों को है ....

(*Interruption*)

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें ताकि वाद-विवाद आगे चल सके ।

श्री चरण सिंह : उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सदन में इस तरह से बोलने की इजाजत नही दी जाएगी और उस तरफ के सदस्य अपनी तादाद का फायदा उठाकर बोलने नही देंगे तो सदन में कोई बहस नहीं हो सकती है . . .

(*Interruptions*)

श्री उपसभापति : कृपया आप शांत रहें और सदन में कुछ व्यवस्था रखने की कृपा करे ।

श्री चरण सिंह : मैं यह कह रहा था कि इस विषय पर या किसी भी अन्य विषय पर दोनों पक्षों के सदस्यों को बोलने का अधिकार है जिस तरह से उधर के माननीय सदस्य बोल सकते हैं उसी तरह से इधर के सदस्य भी बोल सकते हैं ....

(*Interruptions*)

श्री योगेन्द्र शर्मा : उपसभापति जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कालिंग अटेंशन के वक्त जिन सदस्यों का इसमें नाम होता है वही बोल सकते हैं और केवल उनको बोलने का अधिकार होता है ।

श्री उपसभापति : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री चरण सिंह : मैं समझता हूं कि जिस तरह से उधर के किसी किसी भी माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है उसी तरह से श्री पटनायक को भी बाहैसियत सदस्य के बोलने का अधिकार है ...

(*Interruption*)

श्री उपसभापति : कृपया शांत रहिये ।

श्री चरण सिंह : बाहैसियत मेम्बर नहीं...

(*Interruption*)

श्री देवराव पाटील : उपसभापति जी, आपने आदेश दिया है कि इस बहस का उत्तर गृह मंत्री जी दें । इसलिए गृह मंत्री को इसका रिप्लाई देना चाहिए ।

श्री चरण सिंह : मैं रिप्लाई दे रहा हूं। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाम लगा देंगे तो मैं जवाब किस तरह से दे सकता हूं। जिस तरह से किसी भी सदस्य को बीच में बोलने का अधिकार है... *(Interruption)* उपसभापति महोदय, यह कहा जा रहा है कि ...

एक माननीय सदस्य : प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री कमलापति त्रिपाठी : उपसभापति जी, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि कालिंग अटेन्शन के मोशन पर, जहां तक यहां का तरीका रहा है, जिन लोगों का नाम होता है, वही बोलते हैं, सारे सदस्य नहीं। यह आज उन्होंने एक नई बात कही है। मान्यवर, यह जो यहां का नियम है, उसके विरुद्ध है। इसलिये मेरा यह प्वाइंट आफ आर्डर है और आप इस पर अपनी रूलिंग दें कि कालिंग अटेन्शन पर हर व्यक्ति बोल सकता है या वही लोग बोल सकते हैं, जिनके नाम हैं।

श्री नत्थी सिंह (राजस्थान): उपसभापति महोदय, यहां का नियम यह है कि लोगों को बोलने की इजाजत देते हैं और दे रहे हैं। सदन में...

(Interruption)

श्री उपसभापति : मैं माननीय सदस्यों और गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि दूसरी चर्चा समाप्त करके, जो विषय है, उस पर आप जवाब दें तो सारी दिक्कत दूर हो जायेगी।

श्री चरण सिंह : आपका हुकम तो मुझे मानना ही है। लेकिन उपसभापति महोदय, मैं अभी कह रहा था कि किसी को अपनी राय देने का अधिकार क्यों नहीं है? आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं ....

(Interruption)

मुझे बोलने का मौका दीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें मंत्रिमंडल के सदस्य के नाते बोलने का अधिकार है... *(Interruption)* उपसभापति महोदय, हो सकता है कि...

(Interruption)

एक माननीय सदस्य : प्वाइंट आफ आर्डर...

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी रूलिंग हो जाये। मैं बाद में बोलूंगा, जवाब बाद में दे दिया जायेगा।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): On a point of order. Rule 180 deals with the Calling Attention Motion. Where is the provision in the Rule that other Ministers on behalf of his colleague can intervene? It is not an ordinary debate. It is a Calling Attention Motion under rule 180. The Members giving notice, drawing attention of the Minister on an urgent public matter are to take part in this discussion and only the Minister concerned is to reply. This is not a debate. Had it been a debate, any other hon. Minister could have intervened in this matter. Here it is clearly written under rule 180 that there will not be a formal debate on the subject to which attention of the Minister is drawn. Only the Minister Will make a brief statement or he may intervene and reply to the questions and the Members, raising the issue, drawing the attention, can take part in the discussion. Mr. Biju Patnaik or for that matter any other member of the Council of Ministers does not come into the picture as it is a Calling Attention Motion.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : उपसभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कालिंग अटेन्शन नोटिस में ही इस सदन में यह परिपाटी रही है कि अगर... *(Interruption)* मैं यह कह रहा हूं कि यहां पर अनेक बार

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]

पहले भी ऐसे अवसर आये जब एक कालिंग अटेन्शन नोटिस का सम्बन्ध एक से अधिक मंत्रालय से रहा है और यहां पर सदस्यों ने ही यह मांग की है कि अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य जो उससे संबंधित हैं अगर वह इस सदन में उपस्थित हों *(Interruptions)* तो वह भी उसमें अपनी राय दे सकते हैं। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्वाइंट आफ आर्डर पर अपनी रूलिंग देने से पहले इस सदन की जो परिपाटी कालिंग अटेन्शन नोटिस के बारे में रही है उसको भी ट्रेस कर दें तो वह सबके फायदे के लिये होगा।

श्री लाल कृष्ण अडवाणी : उपसभापति महोदय इससे पहले कि आप इस बारे में कुछ फैसला करें मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं क्योंकि इसका सम्बन्ध केवल इस बात से नहीं है। आज यहां पर कई नये रूल इनवोक किये जा रहे हैं। इस रूल को कोई साइट नहीं कर सकता कि कोई सदस्य मंत्री हो या मंत्री न हो उसे बोलने से रोका जाये? परिपाटी एक ही है, नियम में अगर कोई इम्प्लायें नहीं है तो सदन में अध्यक्ष जिसको भी अनुमति दे वह बोल सकता है बिना अनुमति दें नहीं बोल सकता। यही परिपाटी हमारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से विरोधी दल के नेता से कि आज जो कुछ भी यहां पर हो रहा है पिछले 15 मिनटों में वह नियमों के आधार पर नहीं हो रहा है। जो हो रहा है वह इस आधार पर हो रहा है कि यहां पर संख्या कम है और वहां पर संख्या ज्यादा है *(Interruptions)* जो आपत्ति उठाई गई विरोधी दल के नेता से मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रतिक्रिया हुई वह इस बात का प्रमाण है कि इतने लोग हल्ला ज्यादा मचा सकते हैं। हम यहां पर माईनारटी में हैं इसलिए हल्ला नहीं कर सकते *(Interruptions)* यह क्या हो रहा है? मेरे पास सहारा है रूल बुक का, मेरे पास सहारा है परिपाटी का। परिपाटी के सब रक्षक हैं, आप भी रक्षक हैं, आप इस तरह से हल्ला नहीं कर सकते। मेरे यहां के सदस्य चाहे इधर हों या उधर बैठे हों, कभी हल्ला नहीं करेंगे। उपसभापति जी मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, मैं किसी को सबक नहीं सिखा रहा हूं लेकिन इस मामले में मैं आग्रह करूंगा कि आप परिपाटी तथा नियम दोनों का संरक्षण करें। यही परिपाटी है कि यदि अध्यक्ष जी किसी को अनुमति देते हैं तो वह बोल सकता है। और आपने श्री बीजू पटनायक के लिए अनुमति दी *(Interruptions)* मैं अपनी बात पूरी करूंगा, आपने अनुमति दी उसके बाद वे बोलने लगे थे। उसके बाद यह सारा हल्ला मचा। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि अध्यक्ष को इस सदन का मूड देखकर निर्णय बदलने का अधिकार है और मैं इस बात से इन्कार नहीं करता हूं कि आप निर्णय बदलेंगे तो श्री बीजू पटनायक नहीं बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि आज एक ऐसी परम्परा न बने कि आगे चल कर हल्ले के आधार पर निर्णय हो। यही आपसे मैं निवेदन करता हूं *(Interruptions)* मैं अपनी बात समाप्त करता हूं *(Interruptions)*

श्री उपसभापति : आर्डर प्लीज *(Interruptions)*

एक माननीय सदस्य : टीच नहीं कर रहे हैं, टीज़ कर रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : उपसभापति जी, नेता सदन ने परिपाटी की बात उठाई। किसी प्रकार के आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह आरोप लगाना कि हमारी यहां संख्या ज्यादा है उसके फलस्वरूप हमने शोर मचाया, यह एक प्रश्न उपस्थित हुआ है। इस सदन में बहुत बार शोर मच चुका है। मान्यवर जो नेता सदन हैं, वे इस तरफ भी बैठ चुके हैं और अल्पसंख्या में भी रहे हैं। यहां धरना तक हुआ है, इस सदन में वह तमाशा भी देखा गया है।

यह कहना कि तादाद ज्यादा है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आपकी तादाद जब कम थी तब भी आपने ऐसा किया था। यह कहना और आरोप लगाना अनुचित है। मान्यवर, प्रश्न है परिपाटी का और नियम का। नियम 180 आपके सामने है। इस सदन की परिपाटी यह रही है कि जब काल अटेंशन मोशन होता है, उसके ऊपर जिन लोगों का नाम तालिका में होता है, वही लोग बोलते हैं। जो मिनिस्टर इंचार्ज होता है, वही जवाब देता है। मान्यवर, हम लोगों को उधर बैठने का अवसर मिला है, बहुत बार कालिंग अटेंशन मोशन आए हैं। परिपाटी भी यही रही है और नियम भी यही रहा है, उसके विरुद्ध आज आप कुछ कराना चाहते हैं तो मैं समझता हूं, यह अनुचित होगा। आपने आदेश गृह मंत्री जी को दिया और आपकी अनुमति से वे बोलने के लिए उत्तर देने के लिए खड़े हुए। अब मैं यह चाहता हूं कि यह चर्चा कि यह परिपाटी में है या नहीं है, नियम में है या नहीं इस प्रश्न को न उठाया जाये।

I P. M.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, I would like to submit through you to the hon. Leader of the House that if he reads clause (1) of rule 180, he will find that specifically it is the Minister whose attention is called. That is why, in the motion itself we have to say that we call the attention of the Minister in charge of so and so Ministry. Therefore, it is written there, "A member may, with the previous permission of the Chairman, call the attention of a Minister to any matter of urgent public importance." That is why the attention of the individual Minister who is holding a particular portfolio, relating to the subject is called in the motion. That is why he should reply. I fail to understand how he can construe that any other Minister can reply in respect of a particular Calling Attention motion. Here the attention of the Home Minister has been called. ....

SHRI BIJU PATNAIK: Sir, I am rising on a point of order.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.

SHRI BIJU PATNAIK: I am rising on a point of order.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman, Sir....

SHRI BIJU PATNAIK: I am rising on a point of order. I would like to have your ruling, Sir.

SHRI N. G. RANGA: It does not arise.

SHRI BIJU PATNAIK: It does arise.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: On a point of order, Sir.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: A point of order has been raised and hon. Members are making submissions on that. And Mr. Biju Patnaik has as much a right as anybody else.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: I have raised my hands long before him. How does he get priority?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a different matter. First you speak; then he will speak.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, Mr. N. P. Chaudhary and other Members who have spoken before him have raised a very important issue, an issue which touches all of us, but which may not touch the Home Minister. With anguish in our hearts, we wanted to hear the reply of the Minister. He is trying to sermonise us. He is trying to avoid coming to the crux, of the problem. The problem is....

SHRI NAGESHWAR PRASAD SHAHI: It is not a point of order.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY:.... that the incident took place. The Harijans were killed. At that time, they were not even in the Government.

(*Interruptions*)

Please have the patience. At that time, they were not even in the Govment.

AN HON'BLE MEMBER: They were in the Government.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Later on, they came into power .... (*Interruptions*). It was under the President Rule, it was not under an elected Government's rule, when they came into power. They wanted an inquiry to be held. According to the Home Minister, he even went so far as to have a judiciary inquiry. We all appreciate it. After that, the ball started gaining its moss. They have received a fully misleading report. Our Members who have gone there, irrespective of party affiliations....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is the point that you want to make?

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY:....have drawn a very pointed picture. This Home Minister is so much anti-Harijan that we want the Prime Minister to give us an assurance that the Harijans will get as fair due or as fair share as any other citizens of the country. Let the Home Minister give a pointed reply. There should be no sermonisation. We are not going to hear any sermon from him. Whether any other Minister has a right to reply or not, we want a reply from him, a reply to the points raised by Mr. N. P. Chaudhari.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please... (*Interruptions*). No point of order now. Please take your seat.

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI (West Bengal): Only those persons whose names appear in the list have the right to speak. No other person, no other Member can speak. That is wrong, Sir ... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is no point of order.

DR. RAJAT KUMAR CHAKRABARTI: I spoke on two occassions on Calling Attention Motion...

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Well, I will again request the honourable Members not to involve themselves in procedural matters. The Home Minister, at my request, had already got up to give answers to the points that had been raised. He was merely making some preliminary observations and his substantive reply was about to follow. He himself said so. We should not pursue the matter in this respect any further and I will request the Home Minister kindly to reply to the points that have been raised.

(*Interruptions*)

SHRI BIJU PATNAIK: I have the right to ask about my point of order.

What about my point of order? I rise on a point of order.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.

SHRI BIJU PATNAIK: I have a right to raise a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Well, I don't think any point of order and any decision at this point is necessary.

(*Interruptions*)

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Sir. . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, Mr. Chowdhary (*Interuptions*) what is this?

SHRI BIJU PATNAIK: It is a simple point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Let us now get over this.

SHRI BIJU PATNAIK: What I am suggesting is, I will not take more than half a minute. The point of order is....

SEVERAL HON. MEMBERS: No, no.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order Please.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Do they want us to walk out? It is for a responsible Government to behave in a responsible manner. Let them not think that because we are in a majority we are doing it. We are doing it because of the cause and if they behave like this we have no other alternative but to walk out.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two different matters. Firstly, whether any other Minister in the place of, or in addition to the Home Minister, should reply to this and, secondly, whether Mr. Biju Patnaik can also make a submission like so many other hon. Members, on a subject like this. We should listen to him (*Interruptions*). Order, please. This is not the way.

SHRI YOGENDRA SHARMA: Mr. Biju Patnaik is not a Member of this House.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, please. In this discussion, a large number of hon. Members, whether their names were in the list or not, have given their views. Similarly, Mr. Biju Patnaik also wants to say something and we should listen to him.

SHRI YOGENDRA SHARMA: Sir, Mr. Biju Patnaik is not a Member of this House. So, he has no right. If he is a Member of this House, then he will have this right. Since he is not a Member of this House, he cannot have this right.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati Margaret Alva.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Sir, there are two questions on this. The final question that arises is whether a Minister can participate in a Calling Attention discussion in the House as a Member. Ministers are supposed to answer the points raised by the Members and here the attention of the Home Minister has been called to a matter of urgent public importance and the Home Minister has started answering the questions of the Members. Now, in between if another Minister decides to take over, is it permissible? The second question that arises is whether a Minister can stand up in the House and draw the attention of the Home Minister to a mattter of public importance and raise questions in the House. That means during question time also a Minister can take part from tomorrow. These are the two basic questions. How can he participate as a Member?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: As I have said earlier, there are two distinct questions involved in this (*Interruptions*). Order, please. It is time we came to the matter itself. There is no use involving ourselves in this matter. As I have said earlier, there are two points. Whether Mr. Biju Patnaik takes part in the discussion on the Calling Attention motion is a different matter, for which a different situation exists.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: This is the point.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no; this is not the point. So many persons have participated in this discussion and similarly....

(*Interruptions*)

SHRI YOGENDRA SHARMA: Only Members of this House can participate. He is not a Member of this House and so how can he participate?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So far as procedural and other discussions are concerned...

(*Interruptions*)

श्री रणबीर सिंह (हरियाणा) : जब आपने एक बार निर्णय दे दिया उस के बाद काहे डिस्कशन होता है।

श्री उपसभापति : समस्या तब पैदा हुई जब गृह मंत्री जी बोलने लगे। उन्होंने कुछ प्रारम्भिक बातें कहीं जिन पर माननीय सदस्य ने एतराज किया। बाकी मामला तो काफी सुलझ गया। अगर माननीय सदस्य कुछ शान्ति रखते तो गृह मंत्री जी अपना उत्तर देना शुरू कर देते। उस के बाद बात दूसरी होती। इस लिये अब तो इस समस्या का हल केवल यही है कि मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूं कि कृपा कर वे उत्तर दें (*Interruptions*).

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, मैं माननीय मित्रों का बहुत कृतज्ञ हूं। वह जो सवाल उठा रहे थे उसे उठा कर उन्होंने मेरी रक्षा की। मेरी समझ में नहीं आता कि...

श्री रणबीर सिंह : आपको रक्षा की जरूरत नहीं है।

श्री चरण सिंह: नहीं है, आप से और बहिन जी से है। मगर मेरे दोस्त मुझे माफ करेंगे यह कहने के लिये कि मेरी समझ में नहीं आया कि इस उत्तेजना की क्या आवश्यकता थी। ऐंटी हरिजन जो मुझ को साबित करना चाहते हैं कुछ लोग वह उस में उसी तरीके से नाकामयाब होंगे जिस तरीके से श्री भुपेश गुप्त जी और श्री डी०पी० सिंह उस रोज साबित हुए थे। मैं इस डिबेट के लिए तैयार हूं। जिस रोज चाहें उस रोज, मेरे सारे सार्वजनिक जीवन से कोई बात ऐसी टपकती हो कि मैं कास्ट सिस्टम के हक में हूं या कुछ लोगों को दबाने के हक में हूं...

(*Interruption*)

श्री उपसभापति : सुनने दीजिए। माननीय सदस्यों ने इतनी बातें कहीं हैं। कम से कम मंत्री जी का उत्तर तो सुनिये।

श्री चरण सिंह : यह क्या कि बोलने नहीं देंगे। अगर मैं यह कहता हूं कि कोई ऐसी चीज आप साबित नहीं कर सकते मेरे सार्वजनिक जीवन में तो आप खड़े हो कर जोश में आ गये। उपसभापति महोदय, लिहाजा यह कोशिश बेकार है। मैं नहीं बोलना चाहता था इस वक्त, अगरचे कि मुझ पर आरोप लगा दिया गया कि जब मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में था, एक मेम्बर था उस का तो मेरे तरफ से बड़े बड़े अन्याय हुए थे। यह बिलकुल गलत और बेबुनियाद बात है। हरिजनों के लिये बहैसियत रेवेन्यू मिनिस्टर के हमारी तरफ से या दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से जो काम हुए, मैं आप से कहना चाहता हूं कि बिना खास तरद्दुद के कि हिन्दुस्तान की किसी दूसरी गवर्नमेंट ने इतना नहीं किया जितना कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, लेकिन आज यह विषय नहीं है। लेकिन अगर इस विषय पर डिबेट करना हो तो इस हाउस के ही नहीं, जितने और दूसरे हरिजन एम पीज हैं और दूसरे दोस्त हैं वे सारे दिन बैठ जाएं, मैं उन को जवाब दूंगा और अगर सच्चाई की कोई कद्र उन के दिल में होगी तो उन को मेरी बात तस्लीम करनी होगी। लिहाजा यह एक आन्दोलन के तौर पर, अभियान के तौर पर, एक कोशिश के तौर पर जो चलाई जा रही है कि मैं बड़ा ऐंटी हरिजन हूं, हरिजन विरोधी हूं यह बिलकुल गलत और बेबुनियाद है और अगर मुझे माफ करेंगे तो मैं कहूंगा कि एक पोलिटिकल मोटिव इस के पीछे है।

उपसभापति महोदय, मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे मित्र जो उधर से बोल रहे थे उन्होंने कौन सी ऐसी बात कही कि जिस का जवाब देने की जरूरत रह गयी हो। मैं पहले ही अपना बयान विस्तृत रूप से दे चुका था। उस के बाद एक बार मैं उन की दलीलों के जवाब मे बोल चुका था और इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो हमारे पार्लियामेंट के माननीय सदस्यों ने की है उस पर इस गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया है, उस पर हमारा क्या दृष्टिकोण रहा है वह इस बात से

साबित हो जाएगा कि हमने उस बारे में बिहार सरकार को क्या लिखा है । 14 तारीख की यह रिपोर्ट हम को मिली । वे लोग 3, 4 को गये थे और मुझे उनकी रिपोर्ट 14 तारीख को मिली । तो 19 तारीख को कर्पूरी ठाकुर साहब को जो पत्र गया है आप की इजाजत से मैं उस को पढ़कर सुनाना चाहता हूं ।

"New Delhi, July 19.

Dear Shri Thakur, you are aware of the unfortunate incident in village Belchi on May, 27, 1977 in which 11 persons were killed. The incident, naturally, has caused us deep concern. On the basis of the reports sent by the Government of Bihar, I made a statement in Parliament on June 13, 1977. However, it seems that a number of Members of Parliament were not satisfied with the version of the incident given by our Government. As you know, subsequently a team of Members of Parliament led by Shri Ram Dhan visited village Belchi to obtain a first-hand account of the event. A copy of their report is enclosed for your information.

As you will observe, the report brings out certain facts which differ in vital respects from the report sent to us by the Government of Bihar. This report seems to indicate that it was not a case of clash between two rival gangs having long standing enmity but a case of brutal murder of 11 persons, out of whom eight were Harijans, by influential criminal elements in that area in retaliation to resistance to their unlawful activities. The report also cast serious doubts on the role of the local police and in particular, their failure to take any action after the firing incident on May 22, against the gang of Mahabir Mehto. A perusal of the report would suggest that the incident may have some political overtones. According to the report received from the Government of Bihar, the investigations in this case have been completed. However, the report submitted by the Committee of Members of Parliament is likely to cause serious misgivings in the public mind regarding the correctness and impartiality of these investigations.

I would, therefore, suggest for your consideration that the investigation conducted so far may be reviewed in the light of the report of this Committee. We shall be grateful to be kept informed of further developments in the case.

With regards".

श्री एन० पी० चौधरी : उपसभापति महोदय, मैंने बहुत सी बातें रखी थीं, उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया है । इसलिये मैं इसके विरोध में यहां पर धरना देता हूं ।

(At this stage, the hon. Member sat on the floor near the Chair)

श्री गुणानन्द ठाकुर (बिहार) : श्रीमन्, लगता है कि 'मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त' मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं, मैं तब से चुप बैठा हुआ हूं । मंत्री जी का उत्तर हो रहा था . . .

(Interruption)

श्री उप-सभापति : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें । श्री योगेन्द्र शर्मा ।

श्री गुणानन्द ठाकुर : आप सुनिये तो । . . . . .

(Interruption)

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, बेलची का जो कांड है वह बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हरजिनों पर जो अमानुषिक अत्याचार हो रहे हैं, उन अत्याचारों का एक सबसे निकृष्ट इजहार है । गृह मंत्री जब कल एक ऐसे ही सवाल पर बोल रहे थे, पथारा कांड पर, तो उन्होंने कहा था कि यह हिन्दू समाज और बिहार के लोगों के लिए एक कलंक की बात है, शर्म की बात है कि आज

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

भी हरिजनों पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। हम मंत्री जी से जो पूछना चाहेंगे कि हमारे मंत्री जी कमजोर आदमी नहीं हैं कि बीजू पटनायक साहब को उनकी सहायता के लिए आना पड़े, बल्कि गृह मंत्री तो जनता पार्टी की सरकार के लौह-पुरुष हैं, ऐसे लौह-पुरुष जिनकी कलम की नोक से नौ राज्यों की सरकारें उलट जाती हैं, ऐसे लौह-पुरुष हैं।

श्री रणवीर सिंह : प्रधान मंत्री के हुकुम के बगैर।

श्री योगेन्द्र शर्मा : ऐसे लौह-पुरुष बिहार सरकार के अधिकारियों के सामने अपने को असहाय पाते है, यह विश्वास करने की बात है क्या ? जिसकी कलम की एक नोक पर नौ-नौ राज्यों की सरकारें उलट जायें, उसकी कोशिश के बावजूद बिहार सरकार से इनको सच्चाई नहीं मिले और बिहार सरकार का कमिश्नर और डी० आई० जी० झूठी रिपोर्ट दे और उनकी झूठी रिपोर्ट को पढने के लिए ये मजबूर हों तो यह बात हमको सहज में विश्वास करने लायक नहीं लगती है। खासकर गृह मंत्री चौधरी चरण सिह जैसे सिंह पुरुष के लिए क्या मजबूरी थी ?...

(*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : केरल में क्या हुआ था। ...

(*Interruptions*)

श्री योगेन्द्र शर्मा : हम तो चाहेंगे कि केरल की सरकार ने जो इस सिलसिले में उदाहरण पेश किया है काश चौधरी चरण सिंह की सरकार भी उसका अनुकरण कर सकती कमिश्नर और डी० आई० जी० ने जो झूठी रिपोर्ट देकर हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों पर पर्दा डाला है उसके लिये कुछ हो सकता।

मैं पूछना चाहता हूं कि अभी आपने जो बिहार सरकार को लिखा है, जो पत्र पढ़कर आपने सुनाया है उस पत्र में आपने यह क्यों नहीं लिखा कि जिन अफसरों ने इस तरह की गलत रिपोर्ट दी है उन अफसरों पर कार्रवाई की जानी चाहिये और उनको सस्पेंड किया जाना चाहिये ?

दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी को मालूम है कि यह दो क्रिमिनल गिरोह में झगड़ा था ? क्योंकि जब यह सूचना जयप्रकाश जी के पास पहुंची तो उन्होंने सर्वोदय कार्यकर्ताओं की एक टीम वहां भेजी और उस टीम ने रिपोर्ट दी कि यह हरिजनों पर अत्याचार है। ये अत्याचार आज बिहार के सैकड़ों गांवों के हरिजनों पर हो रहे हैं और दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह रिपोर्ट भी उन्होंने देखी है, वह रिपोर्ट भी उनके पास भेजी गई है ? यदि भेजी गई है और उन्होंने देखी है तो उस रिपोर्ट में क्या है ?

आखिरी बात जो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं वह यह है कि क्या कारण है कि जब से जनता पार्टी की सरकार कायम हुई है, यह सही है कि यह हिन्दू समाज कोड युग युग से चला आ रहा है, पिछले तीन महीनों में इन अत्याचारों ने बहुत ही असहनीय रूप धारण कर लिया है। क्या इसका यह कारण नहीं है कि गांव के लैंडलोर्डस यह कहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार हमारी सरकार है और हम जो कुछ भी अत्याचार करेंगे

(*Interruptions*)

हम पर कुछ नहीं होगा। जब गृह मंत्री सदन में इस तरह का बयान करते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं बल्कि यह अपराधी गिरोह का आपसी झगड़ा है तो मुनासिब नहीं है। यह बिल्कुल गलत है। मान्यवर, गृह मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा और साथ ही जानना चाहूंगा कि जब अत्याचारों ने इतना भयंकर, असहनीय रूप धारण कर लिया है तो क्यों नहीं आप कमीशन बहाल करते हैं जो हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों की वह जांच करे और ऐसे कदम वह उठाये जिससे वह कोड हमेशा के लिये खत्म हो जाए।

श्री रणबीर सिंह : मारुति से भी बड़ा कांड हो गया है जुडिशियल कमीशन बैठाना चाहिये ।

श्री चरण सिंह : उपसभापति जी, कमीशन बैठाने की बात कह रहे हैं...

श्री योगेन्द्र शर्मा : सैकड़ों हरिजन मारे जा चुके हैं और हरिजनों की जान आपके लिये कीमती नहीं है ।

श्री चरण सिंह : मेरी समझ में नहीं आया कि इतना जोश भी उनको आ सकता है । बाल सारे सफेद हो गये हैं मैं समझता था आप शांति से बोलेंगे *(Interruptions)* मैं बोलने खड़ा हुआ तो फिर आपको गुस्सा आया । मैंने यह कभी नहीं कहा कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं । मैंने कल भी कहा था कि अत्याचार हो रहे हैं और सैंकड़ों वर्षों से अत्याचार हो रहे हैं *(Interruptions)* उपसभापति जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है । सैंकड़ों वर्षों से अत्याचार हो रहे हैं । पिछले 30 वर्षों से अत्याचार हो रहे हैं जब कि माननीय मित्रों और उनके साथियों का राज था *(Interruptions)* आज भी हो रहे हैं लेकिन यह कहना कि ये अत्याचार इन तीन महीनों में बढ़े हैं इसकी मैं ताईद करना चाहता हूं । यह बात गलत है ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : इसलिये आप कमीशन बनाइये ।

श्री चरण सिंह : कमीशन तब बैठाये जाते हैं जब गवर्नमेंट को या समाज को किसी के बारे में इल्म नहीं होता ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : इसका मतलब है आपको इल्म है कि क्रिमीनल गिरोह के लोगों का काम है ।

श्री चरण सिंह : मुझे तो मालूम नहीं आपको मालूम होगा ।

श्री योगेन्द्र शर्मा : बिहार में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जगह-जगह पर अत्याचार हो रहे हैं क्या यह बात सही नहीं है ?

श्री चरण सिंह : मैं क्या कहूं मुझे तो आप पर....

श्री योगेन्द्र शर्मा : रहम आता है । आप हरिजनों पर रहम कीजिए हम पर मत कीजिए ।

श्री चरण सिंह : आपने उन्हीं तीन राज्यों का नाम लिया है जिनका नाम मैंने कल लिया था । मैंने तो कल कहा था कि इन तीन स्टेटों में अपेक्षाकृत इस प्रकार के मामले ज्यादा हुए हैं । आप कोई नई बात नहीं बतला रहे हैं और कोई नई बात मालूम होने वाली भी नहीं है । हरिजनों पर जो अत्याचार होते हैं उनका सिलसिला सैंकड़ों वर्षों से चल रहा है । हिन्दू सोसायटी के ऊपर यह बीमारी प्लेग की तरह है । पिछले तीस वर्षों से हमारे माननीय सदस्यों की गवर्नमेन्ट रही है....

(Interruptions)

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आप भी तो 25 वर्ष तक मिनिस्टर रहे हैं ।

श्री चरण सिंह : उपसभापति जी, अब मैं इस सिलसिले में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं समझता हूं । लेकिन सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि हमारे माननीय मित्र ने किस बात के लिए यहां पर धरना दे रखा है ? अगर वह हमें इस बारे में कुछ बता सकें तो अच्छा हो ।

डा० रामकृपाल सिंह : उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि इस विषय पर कई प्रकार की कमेटियां बन चुकी हैं और जांच हो चुकी है । सरकार की

[डा० रामकृपाल सिंह]

रपट भी आई है । माननीय गृह मंत्री जी ने इस बारे मे अपना बयान दिया है । जो संसद सदस्यों की टोली गई, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है । बिहार विधान सभा के सदस्यों की एक टोली भी तहकीकात कर रही है । कई प्रकार की टोलियां तहकीकात कर रही हैं और ऐसा लगता है कि मामला थोडा उलझता जा रहा है । मैं समझता हूं कि इसमें राजनैतिक मोटिव घुसेड़ा जा रहा है यानी इस मामले से राजनैतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है । ऐसी स्थिति में मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री जी दुबारा बिहार गवर्नमेन्ट से इस बात का आग्रह करेंगे कि इस मामले की एक जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाय ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार का आग्रह उन्होंने पहले भी किया था । ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री जी दुबारा बिहार सरकार से कहें कि इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाये । मैं समझता हूं कि अगर जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाएगी तो उससे कई बातें साफ हो जाएंगी क्योंकि हम लोगों को भी कुछ तथ्यों की जानकारी है । माननीय सदस्यों की भी टोली गई है । सरकारी रिपोर्ट भी सामने आई है । तथ्यों के अन्दर कई प्रकार का अन्तर है । इसलिए मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वे क्या फिर से बिहार सरकार से यह कहेंगे कि इस मामले की जुडिशियल इन्क्वायरी कराई जाये क्योंकि यह मामला दिन प्रति दिन उलझता जा रहा है और इससे पोलिटिकल केपिटल प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री चरण सिंह : उपसभापति जी, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं यह बात कह चुका हूं कि हमने उनको जुडिशियल इन्क्वायरी का सुझाव दिया था । इस पर बिहार सरकार का जो मेसेज आया वह भी मैंने पढ़कर माननीय सदस्यों को सुना दिया । उनका यह कहना है कि जुडिशियल इन्क्वायरी से फायदा नहीं होगा, बल्कि इस मामले में और देरी हो जाएगी । जुडिशियल इन्क्वायरी क्या होती है, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है । जुडिशियल इन्क्वायरी के अन्दर कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के मातहत एक जज मुकर्रर किया जाता है जो फैक्ट फाइंडिग का काम करता है । जो लफ्ज जुडिशियल इन्क्वायरी चल रहा है, यह कुछ मिसलीडिंग है । सभी लोग इसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, यह कोई नई बात नहीं है

SHRI LAKSHMANA MAHAPATRO (Orissa): Did he not order judicial inquiry earlier? Why not now?

श्री चरण सिंह : पता नहीं क्यों माननीय सदस्य इतना गुस्सा कर रहे हैं ? मैं यह अर्ज कर रहा था कि बिहार सरकार का केस यह है कि पुलिस ने मामले का इंवेस्टीगेशन किया और आप जानते हैं कि पुलिस की स्ट्रेन्थ काफी होती है । 29 आदमियों के खिलाफ इन्क्वायरी चलानी थी । अब फैक्ट्स फाइंडिंग ज्यूडीशियल इन्क्वायरी हो फैक्ट्स फाइडिंग कमेटी कुछ भी कहे, उसमें और देर लगेगी और इन लोगों को सजा मिलने में बहुत देर हो जायेगी । बस, उन्होंने इसीलिये मना कर दिया । मैंने उनको लिखा है कि फिर रिव्यू करें । मैंने आज अखबार में पढ़ा कि कल एक लेजिस्लेचर कमेटी मुकर्रर कर दी गई है और वह मौके पर जा रही है । अब यह हुआ पहली रिपोर्ट, फिर गवर्नमेन्ट आफ बिहार की रिपोर्ट, पार्लियामेन्ट्स के मेम्बर्स की रिपोर्ट और अब स्टेट लेजिस्लेचर मेम्बर्स की रिपोर्ट और इसके बाद फैक्ट्स फाइडिंग कमेटी । तो इससे और ज्यादा कनफ्यूजन होगा । पहले यह था कि वहां गवर्नर का राज था । उनके सलाहकार उनको सलाह देते थे, आफिसर थे, वह सब के सब सलाहकार थे । अब अपनी एक

इलेक्टेड गवर्नमेन्ट पावर में है। जो वहां के मुख्य मंत्री हैं, वह स्वयं एक बहुत गरीब घर में पैदा हुए है। उनको जितना दर्द हो सकता है, वह हम में से किसी को उनसे ज्यादा इस सिलसिले में नहीं हो सकता। किसी और को इतनी तकलीफ और मानसिक दुख नहीं होगा।

(*Interruptions*)

अब जो साहब यहां पर बोल रहे हैं मुझ को कि वेस्टेड इन्टरेस्ट है। चीफ मिनिस्टर मौके पर मौजूद है। ला ऐंड आर्डर गालेबन उन्हीं के चार्ज में है और वह विभाग उनके हाथ में न हो तो सारी गवर्नमेन्ट उनके चार्ज में है। अगर वह जूडिशियल इन्क्वायरी की जरूरत समझें तो कर लें और न समझें तो न करें। अब तीन-तीन कमेटी, पहले पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स की कमेटी फिर लेजिस्लेचर मेम्बर्स की कमेटी की रिपोर्ट के बाद मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कनफ्यूशन होगा। बाकी यह उनका अधिकार है, वह चाहें तो करें।

SHRI YOGENDRA MAKWANA (Gujarat): Sir, it is said that "when Rome was burning Nero was fiddling". Sir, the attitude of the Home Minister also is just the same and it is similar to the attitude of Nero who was playing on his fiddle when Rome was burning. He does not understand the feelings of the poor Harijans and he does not want to come forward with a proposal for a judicial inquiry. This report is by the Members of Parliament and it was a Committee of Members from all the parties and it was not a Committee of the Congress Party only. The Committee was headed by Mr. Ram Dhan who belongs to his party and who is one of the Secretaries of the Janata Party. It was headed by him and members from the various parties were there on this Committee. What more is required? It is not a question of the Bihar situation alone. Elsewhere also in the country, the same is the case. In this connection, I would like to quote the Governor of Gujarat who has said on the 3rd June that it requires political will. Political will is required. Why are they talking about motives and other things? Is there political will on the part of the Janata Party to investigate into this and to punish the culprits, those people who have committed this crime? Sir, the Governor has said in his speech on the 3rd June at Bhavnagar:

"Yes. I welcome the advocacy of fearlessness by the Prime Minister. But which fear do the downtrodden have to shed and how? The rural poor in Gujarat bear the attack and exploitation by the vested interests, the landlords and the rich peasants. How can he become fearless when every day he is being driven out of his land, when he is beaten mercilessly, his family is being harassed and even murders are fast becoming the order of the day? It is here that the State should defend the poor. And it is precisely this that is not being done in Gujarat and the advice to become fearless is rendered meaningless."

He has further said:

"Let me tell you some home-truths and open my heart to you. The well known definition of democracy is the government of and for the people. Since there are elections and since people do get elected to the government, it is by and of the people. But can any-the people live below the poverty body say that it is for the people? In a country where fifty per cent of line, can we say that it is the government for the people?

AN HON. MEMBER: Sir, what is he reading out?

(*Interruptions*)

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Sir, I am reading out something from the Governor's speech and this is in regard to the Harijans. He says:

"But some people still persist in calling this democracy because it is

[Shri Yogendra Makwana]

a system that helps their vested interests to grow and..."

(*Interruptions*)

This is your Governor's Report.

SHRI RANBIR SINGH: This is the Governor's Report...

(*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : उपसभापति महोदय, यह प्रश्न है जिसके लिए काल अटेंशन मोशन है (*Interruptions*)

SHRI YOGENDRA MAKWANA:

"...Please take care of some of them and do not neglect them..."

(*Interruptions*)

This is in connection with the Harijans. Why do you shout at the top of your voice, Mr. Shahi, when I am giving you the facts as stated by the Governor?

"...On the 2-6-77 there was an attack on the Adivasis also in Surat district..."

from where our Prime Minister comes. Some 11 houses were burnt. The land was given by the Congress Government on 31st August, 76. Their houses were burnt. It is done everywhere. Why does not the Home Minister order an inquiry? Only yesterday or the day before yesterday, he has ordered an inquiry in the Faridabad case where only one man was murdered. But he does not order an inquiry in this case of the Harijans when eleven persons have been murdered. This is the allegation I make. Since he is a caste Hindu, he has ordered an inquiry in Faridabad. . . (*Time Bell*). In this case he is not prepared to have an inquiry. We want not only an inquiry. We want so many other things also at the same time. Full compensation should be given. Not only that. But protection should be given on a permanent basis. Permanent protection should be given to the Harijans of these villages. For the police officers and other officers who are involved, there is a law brought forward by the Congress Government, which this Parliament passed, namely, the Social Security Act. According to that, these officers can be taken as abetters and they should be taken as abetters and they should be punished. They should be suspended forthwith, immediately, and they should be put behind the bars. Let the inquiry be concluded. Why is he saying that it will be delayed? Why? It can be expedited. And during the course of inquiry, these people should be put behind the bars; they cannot be outside the prison.

There is also the question of portfolios. We have several times suggested that the portfolios of Harijans and Social Workers should be taken over by the Chief Ministers of States and at the Centre by the Prime Minister—not by men like Mr. Charan Singh, who has no sympathy for the Harijans, who is not prepared even to have an inquiry. I say, and I repeatedly say, that you have ordered an inquiry only in the case of one murder in Faridabad, but you are not holding an inquiry in this case of the Harijans where 11 persons have been murdered...

(*Interruptions*)

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Uttar Pradesh): He was in police custody.

SHRI YOGENDRA MAKWANA: My humble submission to you and to the Government is that this should be done immediately. And if the hon. Home Minister is serious enough, he should resign. He should resign or come forward with an inquiry.

With these words, I thank you.

श्री चरण सिंह : माननीय मित्र ने जो सवाल उठाये हैं, वे सब जवाब में कवर हो चुके हैं इसलिए इनका जवाब देना मैं आवश्यक नहीं समझता।

श्री उपसभापति : अब इस पर चर्चा समाप्त की जाती है। सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at forty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-two minutes past two of the clock. **Mr. Deputy Chairman** in the Chair.

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, यह हमारे दो माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं और हम समझते हैं कि इनकी मांग बहुत ही उचित मांग है कि हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों की जांच के लिये एक कमीशन नियुक्त किया जाये। हम समझते हैं कि गवर्नमेंट को इतना तो करना चाहिए कि जो अत्याचार हुए हैं उनकी जांच के लिये एक जांच कमीशन बैठा दिया जाय। अगर कोई कमीशन बैठा दिया जाता है तो समस्या का समाधान हो जायगा और इन माननीय सदस्यों को भी सदन के काम मे हिस्सा मिलेगा।

श्री कल्प नाथ राय : उपसभापति महोदय, पिछले तीन महीनों में जनता सरकार के अंदर जो जुल्म और अत्याचार हुए हैं, बेलछी जैसे नर हत्याकांड हुए हैं, उन सवालों पर एक जांच आयोग बिठाया जाये और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज द्वारा जांच करायी जाये ताकि इन सारे जुल्मों के ऊपर ठीक ढंग से विचार किया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो . . .

(*Interruptions*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : और पिछले 30 साल से जो अन्याय हुआ है . .

(*Interruptions*)

श्री गुणानन्द ठाकुर : उपसभापति जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है . .

(*Interruptions*)

श्री कल्प नाथ राय : हत्याकांड की जांच के लिये एक आयोग बैठाया जाय।]

श्री गुणानन्द ठाकुर : उपसभापति जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा नाम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में था। आपको स्मरण होगा और मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी आपसे निवेदन किया था कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय। मैं उस सूबे से आ रहा हूं जहां यह घटना घटी है और मैं जानता हूं कि किस मौके पर यह घटना घटी। जब सारे देश का ध्यान चुनाव की ओर लगा हुआ था और यह एक धारणा, भावना बन चुकी थी कि इस देश के दबे कुचले लोग, गरीब लोग कांग्रेस के समर्थन में वोट करेंगे या किये भी हैं, खासकर हरिजन। इसी परिस्थिति में जब चुनाव चल रहा था तब यह घटना घटी तो मैं यह जानना चाहता था कि उस घटना के पीछे कौन-सा राग है क्या दबे कुचले लोगों को धमकाने के लिये कि खबरदार अगर कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया तो क्या अंजाम होगा, वह देख लें। बेलछी में क्या हुआ। चूंकि उस समय लोग चुनाव में फंसे हुए थे और इससे यह हुआ कि जो गरीब तबके के लोग थे वे डर गये। वह इसलिए कि भई, दिल्ली में सरकार बन गई है, इंदिरा गांधी अब रही नहीं, अब हम लोगों को कौन प्रोटेक्शन देगा और इसीलिए उस समय यह घटना घटी। अब कहा जाता है कि शायद इसकी इंक्वायरी हो, यह हो वह हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वयं श्री रामधन एक पुराने संसद् सदस्य हैं, जनता पार्टी के सचिव भी रहे हैं, एक निष्ठावान ईमानदार आदमी हैं, इस बात को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वे गए भी थे घटनास्थल पर। हमारा यह कहना है कि आज संपूर्ण देश में क्यों ऐसी घटनाएं घट रही हैं और खास कर जब से यह जनता सरकार आई है, अभी हमारे मित्र मकवाना जी ने कहा कि दिन-दहाड़े हरिजनों के घर जला दिये गये, कल आपने सुना उड़ीसा के सम्बन्ध में—मैं तो पटनायक जी को नाम से जानता था जब मैं विद्यार्थी था स्कूल का तब से कि उनका नंबर लगा हुआ है जवाहरलाल जी के बगल में और ये "बुड बी

[श्री गुणानन्द ठाकुर]

प्राइम मिनिस्टर" हैं, वे खुद कहते थे 10 करोड़ का प्रधान मंत्री बनेगा और वे डाइरेक्टर और न जाने क्या-क्या रहे--आज मैंने उनको देखा चिढ़ते हुए प्रोफेसर रंगा जैसे पुराने और लब्ध प्रतिष्ठ नेता पर। जब मैंने उनको बिगड़ते हुए देखा तो मुझे हंसी लगी और पूछा सेन्ट्रल हाल में कि क्या ये पुराने सदस्य थे लोक सभा में या राज्य सभा में थे तो लोगों ने कहा थे नहीं शायद। तो वाजपेयी जी उनको साउंड कर रहे थे। जनतंत्र में आप सुनें तो भले ही जवाब न दीजिये। आप दूसरों को गाली दीजिए लेकिन जब आपको सही बात के लिए इतना खींचा जाए तो तुनके नहीं। तो उपसभापति जी, देश कैसे चलेगा, जनतंत्र कैसे चलेगा? मैं यह कहना चाहता हूं, बेलची की जो घटना घटी वह किस परिस्थिति में थी। किसी समय, जिनका वे नाम लेते हैं--जयप्रकाश जी--उनके लिए मेरा बड़ा आदर रहा। जयप्रकाश जी ने कहा कि बेलची के संबध में जो ब्यौरा है वह ब्यौरा गलत है तो उसकी फिर से जांच होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। तो मैं सीधा सवाल आपके माध्यम से सरकार से उत्तर के रूप में जानना चाहता हूं। ठीक है, आप बेलची की जांच करा लीजिये। क्या यह जांच चलती रहेगी? क्या सरकार इस सदन को आश्वासन देना चाहती है कि इस तरह की घटनाएं देश के किसी भाग में दुहरायी नहीं जायेंगी, इनकी पुनरावृत्ति नही होगी और अगर हो तो उसके लिए जिम्मेदार मंत्री त्यागपत्र दें। मैं पूछना चाहता हूं कि आज के आज़ाद हिन्दुस्तान में 13-13 व्यक्तियों को दिन दहाड़े जला दिया जाए--न तो गृह मंत्री जी गए घटना-स्थल पर या दूसरे मंत्री देखने गए--तो क्या इससे उम्मीद की जाए कि सरकार का हरिजनों के प्रति, दबे कुचले लोगों के प्रति सही दृष्टिकोण होगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि संसद सदस्यों की जो रिपोर्ट है, श्री रामधन कमेटी की जो रिपोर्ट है, अगर उसी रिपोर्ट को सरकार मजबूती से इम्प्लीमेन्ट करे तो हतेम समझ हैं बहुत तथ्य सामने आ सकते है और यह एक कमेटी, दो कमेटी, चार कमेटी, इससे मामला सुलझेगा नहीं, उन गरीबों को न्याय नहीं मिल सकेगा। भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घटें देश के किसी भाग में, इसके लिए सरकार को इस संसद में वचन देना चाहिए।

मैं अंत में यह मांग करूंगा कि जितने परिवार के लोग मरे है--रेल दुर्घटना में लोग मरते है तो कंपेनसेशन 50,000 रु० देते है, हवाई दुर्धटना में कोई मरता है तो एक लाख रु० कंपेनशशन देते है क्योंकि वे बड़े लोग हैं--लेकिन जिनको आज़ाद हिन्दुस्तान में ज़िंदा जला दिया ऐसे परिवारों को आप कहते है हमने पांच-पांच हजार रु० दिया, उससे क्या वे अपने परिवार वालों का पेट भर सकेंगे? इसलिए मेरी मांग है कि जिन परिवारों को क्षति हुई है, उनके जो लोग मरे हैं, उन परिवारों को कम से कम एक-एक लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा और पांच-पांच एकड़ ज़मीन में उनको बसाने की व्यवस्था की जाएगी। अगर उनमें कोई नौकरी करने के लायक है तो इन परिवार के लोगों को नौकरी देने में सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। और अगर जरूरत हुई तो जिम्मेदार लोगों को सामूहिक ढंग से सजा होनी चाहिए। आज से कब्ल मैं बिहार की एक घटना बताना चाहता हूं कि वहां एक मुखिया की स्टेशन पर दिनदहाड़े हत्या कर दी गयी थी। इससे कब्ल चुनाव के दौरान बिहार में कितने ही लोगों की हत्या हुई है। देश के अन्य भागों की अपेक्षा बिहार में हिसात्मक घटनायें अधिक हो रही हैं। इसलिये उपसभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस मामले पर आप सोचें और बहस के लिये कुछ समय निर्धारित करें और सदन इस पर बहस करे और कोई एक ठोस रास्ता निकाला जाय। कमीशन का धंधा तो आप जानते ही हैं कैसा होता है। जज एक दिन बैठ कर एक बात कहता है तो दूसरे दिन दूसरी बात कहता है और

तीसरे दिन तीसरी बात कहता है। इस देश के जजों को हम सब जानते है। मैं कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट जो सुप्रीम है और जहां जन प्रतिनिधि बैठते है उसमें इस प्रश्न पर विचार किया जाय और उसमें एक रोज लगे, दो रोज लगें, तीन रोज लगें, लेकिन इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाय और फिर कोई एक ठोस रास्ता निकाला जाय ताकि भारतवर्ष के लोगों के माथे पर जो यह एक कलंक है वह मिट सके। उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से एक हरिजन को जला दिया गया जब कि वहां बहुगुणा जी की सरकार थी। तो इन दबे और कुचले लोगों का इस देश में क्या भविष्य है। उपसभापति जी, चुनाव के बाद तो यह भावना सब जगह फैल गयी है कि चलो, इन्दिरा गयी और उसके साथ गरीब का रक्षक भी गया। तो उनको अब कौन प्रोटेक्शन देगा? इस लिये मैं आप के जरिये मांग करता हूं कि सदन में इस पर बहस हो, हरिजनों की समस्याओं पर बहस हो और चाहे वह राजस्थान की समस्या हो या गुजरात की, महाराष्ट्र हो या केरल या आंध्रप्रदेश की बात हो, उडीसा हो या बंगाल या बिहार, या उत्तर प्रदेश की बात हो, हरिजनों के सवाल पर विशेष बैठक बुलायी जानी चाहिए। हम शपथ लेते है कि हम जोर जुल्म गरीबों पर नहीं करेंगे, लेकिन व्यावहारिकता में हम लोग भी दूध के धोये नहीं हैं। इस लिये हम लोगों को नये सिरे से कसम खानी चाहिए। आप लोग गांधी जी की समाधि पर कसम ले कर आये है। आप लोगों को गांधी जी के सिद्धांतों और उनके कामों पर कितनी निष्ठा है इसको तो आने वाला समय बतायेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस विषय के लिये समय का निर्धारण करें ताकि हरिजनों की समस्याओं पर सदन में विचार हो सके।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am on a point of privilege. Where is the Home Minister? We are discussing an important issue and hon. Members are staging a *dharna* here. Where is the Home Minister? Why is he absent from the House?

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Sir, would you kindly listen in this side also?

श्री गुणानन्द ठाकुर : मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं बिहार के सबंध में जानता हूं कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। श्री कर्पूरी ठाकुर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और आज से नहीं बरसों से जानता हूं। मैं यह भी जानता हूं कि गरीबों के प्रति उनके दिल में दर्द है लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वे वहां की व्यवस्था पूरी तरह ठीक कर सकेंगे। वे ऐसे जुल्मों को रोकने में अक्षम रहे हैं। इस लिये मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्यवाही की जाय। दरोगा की रिपोर्ट आ रही है, एस० पी० की रिपोर्ट आ रही है, डी० एस० पी० की रिपोर्ट आ रही है इससे काम चलने वाला नहीं है। इस लिये उपसभापति महोदय, आप इसके लिये समय निर्धारित कीजिए और हर मृतक के परिवार को एक एक लाख रुपये का मुआवजा दिलाइये। वहां गृह मंत्री जी और वहां के मुख्य मंत्री जी घटनास्थल पर जायें और उस समाज से माफी मांगें और कोई रास्ता ढूढें तभी वहां हरिजनों पर जुल्म खत्म हो सकते है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रस्ताव के ऊपर बहस हो रही है और इसका ताल्लुक गृह विभाग से है। अभी गृह मंत्री जी इसका उत्तर भी दे रहे थे, सदन में धरना भी चल रहा है, बहस इसी पर हो रही है, उनका यहां नहीं रहना एक प्रकार से इस सदन की घोर अवहेलना करना है। क्या आप कृपा करके आदेश देंगे कि गृह मंत्री जी यहां जल्दी पधारें?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्रीमन्, मैं नहीं जानता हूं कि उनको कोई इस बात की सूचना थी कि भोजन के विश्राम के बाद भी फिर से इस विषय पर चर्चा होगी। जहां तक मुझे जानकारी है, आपने उस समय यह घोषणा की कि इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। आप रेकार्ड देख लीजिए। . . . (*Interruptions*). जब मैंने देखा कि यहां पर यह वातावरण था तो मैंने आपसे पूछा और मुझे स्मरण है कि इस विषय पर चर्चा समाप्त हो गई है, इसीलिए मैंने उस समय खड़े होकर यह अनुमति चाही थी कि मैं अगले सप्ताह का बिजिनेस पढ़ूं कि नहीं। आपने कहा कि बाद में पढ़िये। तब आपने घोषणा की कि इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई। तो गृह मंत्री जी को भी यही सूचना होगी, नहीं तो वह जरूर आते।. . .

(*Interruptions*)

श्री कामेश्वर सिंह (बिहार) : ऐसी बात नहीं है कि उनको मालूम नहीं था। उन्होंने देखा कि सदन में धरना चल रहा है।

(*Interruptions*)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : श्रीमन्, अगर आप कहें तो मैं गृह मंत्री को यहां आने के लिए सूचना दे दूंगा।

SHRI M. R. KRISHNA: Mr. Deputy Chairman, Sir, today, unfortunately, Mr. Advani who so far has proved to be a very dignified and impartial Member of this House, has descended very low because in the morning when he tried to defend the Home Minister, he was defending him on something which he cannot find in the Rules of Procedure and now he is trying to defend the Home Minister on a point which is of national importance. It is not a matter. . .

SHRI LAL K. ADVANI: If you give the ruling whether the Calling Attention is going on or closed, then the whole controversy will end.

SHRI M. R. KRISHNA: Today, the attitude of the Ministers of the Janata Party was very peculiar to this House and also to the country. The impression hitherto created in this country that the Janata Government is very unkind to the Harijans has been amply proved by the action of the Minister today. Here Mr. Biju Patnaik was trying to answer on behalf of the Home Minister. We know Mr. Biju Patnaik is a very capable Minister; he was a capable Chief Minister; he is a capable Minister of Steel and Mines. He could be a very good fighter on behalf of the weaker sections. But, unfortunately, today he was trying to defend the misdeeds of the Government. Sir, this is a new Government which has come into existence . . .

SHRI BIJU PATNAIK: Sir, it is very unfair. Without listening to me he is condemning me. It is very unfair. I want two minutes; he cannot condemn me without hearing me. Even when you condemn a person, you must hear him.

SHRI M. R. KRISHNA: I would still beg of Mr. Patnaik to take up this matter with the Government in support of the weaker sections.

Now, Sir, the point was not very simple. It did not relate to one stray incident in Bihar. The whole country today is suffering because of the atrocities committed against Harijans. The Government does not even care to listen to the Members and tried to indulge in all theories trying to tell the House that this has been continuing for the last centuries. We know this Hindu society was not reformed. Even Swami Vivekananda or Mahatma Gandhi or Vir Savarkar was not able to convince the Hindu society. The Home Minister was very much convinced about it and he was also saying

that the police officials and other officials were not honest in doing their duty. He confessed it. But still he wants to tell this House and the country that he is helpless because the Bihar Government does not want to have a judicial inquiry and therefore, he is not in a position to compel the Bihar Government. He is responsible to this House for the protection of the entire Harijan and Adivsi families in the country. That is the position which has been given. Some of the Members here said that they did not have confidence in the Home Minister because his past deeds are not enough to convince that he is going to protect the lives of the Harijans. On that, he was trying to give his own version, how he had behaved, how he had tried to help the harijans and how, as the Revenue Minister, he had tried to help them. This is all good. Now, it is a questtion of creating a climate of confidence in this country. Who will create this confidence among the weaker sections of the people? Is it not the duty of the Central Government to create this confidence? Today, this confidence is lacking. What is your attitude towards such incidents? You order a judicial inquiry into one small incident where one person is murdered. Here is a case where eleven people have been murdered in daylight and similar things are being repeated all over the country. Yet the Government does not feel the need to order a judicial inquiry. Why? He is trying to explain to us that a judicial inquiry would take a longer time. At the same time, he is depending upon the information given by the police officers. He does no arrest anybody. Whenever you want to have an impartial inquiry, you suspend the concerned senior officers. You have done it. You had removed a number of senior officers who had put in 20 to 30 years of service. You have done it. Why are you feeling shy? Are you still holding brief for those people who are the murders? Are you inclined to support certain sections which are very very prominent in these kinds of atrocities? What is the reason behind this? I would like to know from the hon. Home Minister. In the first place, there are not enough people in the police department from this community to protect them. At the same time, the Home Ministry in the Central Government is not enthusiastic. They do not feel for these people and they do not speak against these things. He is trying to defend on the basis of some information supplied by some officers. Is he not going to respect the eight Members of Parliament who have given their report? Does he think that these eight Members are irresponsible people? These Members have been drawn from the various parties without giving any weightage to the Congress or to any particular State. Your Party has been fully represented there. The leader of the committee is from your own party. Why don't you give credence to that? What further you want? When these two Members are staging a dharna here, do you think this is a very insignificant number. The feeling that you are trying to create in this country is dangerous not only for the Janata Government, but also for the whole Hindu society. If he wants to destroy, nobody can stop it. Hitherto, we have been stooges to kill other people because some of you wanted us to be engaged to kill others. When it is a question of defending our honour, when it is a question of defending the honour of our women, do you think we will lack in the courage? It will be worse than the Noakhali incident. It will be worse than the Muslim League atrocities. Therefore, in the interest of the Hindu society, please try to create a climate of confidence in this country. Today, that confidence is shattering. You could blame the Congress Government. Now, we are blaming the whole Hindu society. We are not asking Shri Charan Singh. We are asking the Home Minister of this country and we are asking the Janata Government to be responsible.

Therefore, Sir, it was a very simple demand that a judicial inquiry should be ordered. We only want to create

this confidence in this country that there is a Government, there is a Central Government, which can protect the honour and the life of the weaker sections of the people. What are the reasons for the Home Minister feeling shy to order a judicial inquiry? Is he going to be helped by the Finance Ministry in the matter of finding the money for it? Will he not be able to find the personnel who will be in-charge of this inquiry? Or, is he honest in saying that this will take a longer time and that, therefore, he wants to have a quicker method? What is the quicker method he is going to adopt? I am prepared to accept even that. If the Home Minister thinks that a judicial inquiry will take a longer time, what is the quicker method he is going to offer to us? We are prepared to accept even that. We are a reasonable people even though we are in a majority on this side. We will accept anything coming from that side, but I would only say that the judicial inquiry is necessary in order to allow the Janata Government to continue, in order to allow the weaker sections of this country to have more confidence in the Janata Government. It is not to protect the Members of Parliament here. Therefore, Sir, through you I beg of the Home Minister that it is not going to cost his life or money if he accepts the judicial inquiry. He must in order to satisfy the members of the weaker sections, concede for this Commission.

Thank you very much.

श्रीमती सरोज खापर्डे : उपसभापति महोदय, चारों ओर से कई वक्ताओं के वक्तव्य और भाषण मैंने सुने। मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से जनता पार्टी की सरकार अधिकार में आई है तब से देश में हरिजनों के ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार के बेलची गांव में जो अमानुषिक हत्याकाण्ड हुआ वह एक ही घटना नहीं है। य. देश के हर एक कौने में और हर दिशा में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। रोज कहीं न कहीं हरिजनों को मारा जाता है, कहीं न कहीं हरिजनों को काटा जाता है जिन्दा जलाया जाता है। उनके घरों को जला दिया जाता है। उनकी महिलाओं की आबरू पर हमला किया जाता है। उनकी इज्जत लूटी जाती है। आपत्कालीन स्थिति में उनको दी गई जमीन को छीन लिया जाता है। उनको दिये गये पट्टे उनसे छीन कर उनके सामने फाड़ दिये जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं और अत्याचार पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हुए भी जनता पार्टी की सरकार उनको दो गुण्डों के दलों का झगड़ा बताकर देश को गुमराह करने की कोशिश करती है। उपसभापति जी, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या कहीं ऐसा भी हुआ है कि दो गुण्डों के दलों में किसी सवर्ण हिन्दू को जलाया गया है या मारा गया है या उनकी बस्ती को जलाया गया है या उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी गई है? मैं समझती हूं कि ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी हालत में सरकार सत्य स्थिति को छिपाये क्यों रखना चहती है। मैं समझती हूं कि यह जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर हरिजनों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रोत्साहन दे रही है। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वह यह नहीं मानते है कि जनता पार्टी सरकार आने के बाद, उसके लगभग सवा सौ दिनों के कार्यकाल के बाद हरिजनों के ऊपर अत्याचार इस देश में बढ़ गये हैं और यदि आप ऐसा नहीं मानते हैं तो क्या आपके शासनकाल की घटनाओं और आपत्काल की घटनाओ के कोई आंकड़े आपने इकटठा किये हैं जिससे यह पता चल सके कि किस काल में इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा हुई हैं। बेलची काण्ड के बारे में गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उससे यह मालूम पड़ता है कि यह संघर्ष हरिजनों और सवर्णों का संघर्ष नही था बल्कि गुण्डों के दो दलों का संघर्ष था। मैं खासतौर से गृह मंत्री जी का ध्यान इस

की तरफ दिलाना चाहती हूं कि क्या यह सही नही है कि इस संघर्ष में मुख्य रूप से एक गुट में प्रधान रूप से हरिजन थे और दूसरे गुट में आपकी जात के भाई थे ? इस वक्त

3 P.M.

को देखते हुए और इस सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, मैं उपसभापति महोदय के मार्फत कहना चाहूंगी कि आपने गलत बातें कहकर सदन को और देश को जानबूझकर गफलत में रखने की कोशिश की है और गुमराह करने की कोशिश की है ।

उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ और बातें कहना चाहती हूं । बेलची में हरिजनों के हत्याकाण्ड की जानकारी मिलने के बाद भी घटनास्थल पर पहुंचने में पुलिस ने इतनी देरी क्यों लगाई ? दूसरे, मैं गृह मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी ने सरकार से कौन सी बातें कही और एवं कौन से विषयों पर ज्यादा ध्यान देने के लिये कहा है । मैं पूछना चाहती हूं, गृह मंत्री जी ने इस सदन में कुछ समय पहले कहा है कि बेलची हत्याकांड की दो अधिकारियों ने जांच कर, उनके पास रिपोर्ट भी दी है । माननीय गृह मंत्री जी क्या उन दो अधिकारियों के नाम बताने की कोशिश करेंगे ? 48 घंटे बाद जब दो अधिकारी वहां जांच के लिये पहुंचे तो क्या यही जानता पार्टी की सरकार का प्राम्ट एक्शन है ?

माननीय उपसभापति जी, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि मंत्री महोदय ने कुछ देर पहले अपने बयान में यह कहा कि 27 तारीख को यह घटना हुई और पुलिस घटनास्थल पर तब पहुंची जब कि मुर्दे करीब करीब जल चुके थे, ऐसा क्यों हुआ ? जब कि पुलिस गांव मे मौजूद रहती है तो फिर इस प्रकार की असावधानी क्यों हुई ? पुलिस का देर से पहुंचने का राज़ क्या था ?

जनता पार्टी का एक अंग जनसंघ भी है, जो हरिजनों को सदैव नफरत और घृणा की नजर से देखता आया है ? उनके मन में उनके प्रति कभी सद्भावना नहीं रही है । उनका दिल और मन हरिजनों के प्रति कभी साफ और सच्चा नहीं रहा है । जनसंघ का सदैव रवैया यह रहा है कि हरिजनों की उपेक्षा करो । केवल जनसंघ का ही नहीं, बल्कि मैं यह भी कहना चाहूंगी कि चौधरी चरणसिंह जी का भी हमेशा रवैया हरिजनों के प्रति उपेक्षा का ही रहा है और मुझे आजकल यह भी नजर आ रहा है कि यह जनता पार्टी की गवर्नमेंट की हरिजनों के प्रति कोई अच्छा रवैया अख्तियार कर रही है, ऐसा मुझे लगता नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ, उपसभापति, जी, मेरे भाईयों ने जो डिमांड की है, मैं उसका समर्थन करती हूं ।

मेरा सुझाव है कि (1) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इस घटना की जांच की जाय (2) 75 अपराधियों में से केवल 29 को गिरफ्तार किया गया है, बाकी अपराधियों को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाये ।

हमारी तीसरी मांग यह है कि मुख्य सचिव गृह सचिव, महानिरीक्षक पुलिस, उप महानिरीक्षक पुलिस, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपअधीक्षक आदि जिसने भी गलत बयानी की है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय और मृतकों के परिवारों को 50 हजार रुपये प्रति परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया जाय । मृतकों के परिवारों के सदस्यों का पुनर्वास किया जाय और उनके परिवार जनों में जो भय और आतंक व्याप्त है, उसे दूर करने के लिये उन्हे संरक्षण और सुरक्षा प्रदान की जाय । गृह विभाग से हरिजन विभाग निकाल कर यहां प्रधान मंत्री को और राज्यों में मुख्य मंत्रियों को यह विभाग दिया जाय । मेरी मांग है कि गृह मंत्री, भारत सरकार उपरोक्त आश्वासन हमें दें । इन्ही मांगों के साथ मै अपने भाईयों के साथ धरनें में शामिल होना चाहूंगी ।

(At this stage, Shrimati Saroj Khaparde sat on the floor near the Chair)

SHRI D. P. SINGH (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, three hon. Members of this House are on *dharna* before you and before this House to highlight the fact that the life, property, liberty and honour of the Harijans are not safe under the Janata Raj. Sir, we demand that a commission of inquiry be set up, and this is the demand for which they have been fighting. They felt humiliated in the Lok Sabha when the Leader of the Party who went to make inquiries came back and wanted to state the facts and the honourable Home Minister did not yield. Therefore, I lend my voice to the demand that a commission of inquiry be set up to investigate into the state of unprecedented violence during the last three and a half months of Janata Raj. Thank you.

SHRI DEVENDRA NATH DWIVEDI (Uttar Pradesh): Sir, it is with a deep sense of horror and dismay that this House has witnessed the very callous manner in which the Government has reacted to the very genuine demand made by the honourable Members. Sir, what is being discussed in this House is not a partisan issue and we cannot afford—nobody can afford—the luxury of thinking in terms of Treasury Benches versus Opposition Benches. I wish this attitude had not been adopted by the Treasury Benches but, right from the beginning, this is the attitude adopted—typical of power-drunk people who are not willing to listen to the voice of reason and who are thinking in terms of how the bureaucracy will react if a certain decision is taken.

Sir, the plight of the Harijans is too well known that I should say anything about it. But what dismayed me was the very philosophical and padantic manner in which the Home Minister has been trying to deal with the issue today as well as yesterday. He was lecturing the House, as is his wont, about the ills that have afflicted the Hindu society all these years. Everybody knows about it and nobody in this House needs to be told by him about the historical background of what has happened and what is happening. What is relevant and what the people of this country are looking forward to is the manner in which the present Government, the present Home Minister rises to the occasion in winning the confidence of the Harijan people, creating a sense of confidence and making them feel that this Government, thirty years after achieving independence, is doing something for them. Who is in power is beside the point. Even if some of our representatives were there, we would have adopted the same approach. The question is how seriously the Home Minister is taking the issue. I think his whole approach is bureaucratic and governmental when a human approach, an approach which is responsive to the needs of the situation is the need of the hour. Therefore, instead of going into the details, I would only urge the Home Minister, through you, that he should realise the seriousness of the situation. Therefore, hon. Members of this House, who are all very responsible, are adopting the Gandhian method. It is Gandhi who taught us that sometimes, in order to stand up to our rights we have to "sit down". And they are sitting in front of those people who, day in and day out, talk about Gandhian principles and Gandhi being the moving spirit behind them. It is an irony of fate that the self-proclaimed Gandhians are not showing respect to the Gandhian method in which the honourable representatives of the people have expressed their anguish. It is more in sorrow than in anger that these hon. Members are sitting there and, in spite of this, his attitude towards a judicial inquiry, his attitude towards evolving a permanent machinery which may look into the grievances of Harijans and which may create a climate in which the dominant classes which identify themselves with the Janata Party feel restrained and feel that

this Government really means business, is not changed. Therefore, through you, Sir, I will urge upon this Government that they should not only accept here and now the demand for a judicial inquiry but should also appoint a Commission—our Leader will formally make the demand—which may be a standing body, and which may inspire confidence among the Harijans.

Thank you, Sir.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, मैं कृतज्ञ हूं कि आपने इस विषय पर इतनी चर्चा करने का अवसर दिया ...

श्री देवराव पाटील : मेरा भी नाम इसमें था ...

(Interruptions)

श्री रामानन्द यादव (बिहार) : उपसभापति महोदय, मेरा भी नाम था । मैं बिहार का रहने वाला हूं । मैं वहां गया हूं और आप मेरा नाम नहीं दे रहे है ...

(Interruptions)

उपसभापति महोदय, बेलछी में जो घटना घटी है वह बहुत ही शर्मनाक है और खासकर जनता पार्टी के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज हुई है । उस समय जब कि प्रेसीडेंट रूल था और केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी । उपसभापति महोदय, बेलछी की घटना के सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्ट में यह आया है कि दो गुंडों के या दो डकैत दलों के बीच का झगड़ा है । बात ऐसी नहीं है । आज बिहार राज्य के खेतिहर मजदूरों के बीच में एक भावना जगी हुई दिखाई देती है । क्योंकि विगत कांग्रेस सरकार ने उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की थी, उनको जमीनें दिलवाई, उनके ऋण माफ किये । इससे उन में एक जागृति आयी । उनके बच्चों को नौकरियां दी गई थीं । आज उनमें उत्साह आया है ।

परन्तु दूसरी तरफ बिहार एक फयूडल राज्य है । वहां बड़े-बड़े काश्तकार हैं और यह ऊंची जाति के लोग हैं । यह सदियों से हरिजनों का शोषण करते आ रहे हैं और सभी नहीं चाहते कि इन्हें न्यूनतम मजूरी मिले वे नहीं चाहते कि उनके ऋण माफ हों, इसके अलावा यह नहीं चाहते कि इन्हें जो सुविधाएं मिली हैं और मिल रही हैं, वह मिलें । तो यह झगड़ा जो ऐसे वर्ग के लोग हैं, वेस्टेड इन्टेरेस्ट्स वाले लोग हैं, जो फयूडल हैं उनके और मिल मजदूरों की बीच में झगड़ा है । हाल में एक बन्दूकधारी दल जिसको बिहार के काश्तकारों ने खास कर पटना, रोहतास और भोजपुर जिले के काश्तकारों ने, मजदूरों से लड़ने को दबाने के लिये बनाया है उसी दल ने इन हरिजनों को जो मजदूरी मांगते थे, जो अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते थे, जो अपना सर ऊंचा करके गांव में चलना चाहते थे, जो इज्जत का जीवन बिताना चाहते थे, इन को बन्दूक के सहारे त्रस्त कर देना चाहा है । यह झगड़ा मजदूरी के दबाने के लिए हुआ है न कि दो डकेत दलों के बीच हुआ है ।

अब मैं बताऊं जो लोग मारे गये हैं; जलाये गये हैं उनमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर पहले से पुलिस का कोई क्रिमिनल केस हो, जिसे सेंटेंस दिया गया हो या जिसके खिलाफ कोई सजा हो । लेकिन जो लोग पकड़े गये हैं उन में ऐसे लोग हैं जो या तो डामिनेंट कम्युनिटी के हैं, उस जिले की काश्तकार कम्यूनिटी के हैं, जिनके पास जमीनें हैं । पकड़े गये लोग उसी तबके के हैं । मान्यवर, उनकी आप इकनामिक हालत देखेंगे तो आप देखेंगे कि उस जिले के वही लोग पकड़े गये हैं जिनके पास काफी जमीनें हैं, जो काश्तकार हैं । जो गुंडों से इन गरीब मजदूरों को मारने के लिये, डराने के लिये, धमकाने के लिये व्यवस्था करते हैं ।

तीसरी बात, मान्यवर, पुलिस कोनाइव करती है, मैजिस्ट्रेसी कोनाइव करती है,

[श्री रामानन्द यादव]

एडमिनिस्ट्रेशन कोनाइव करता है । इसलिये करता है कि उस पुलिस में, उस मैजिस्ट्रेसी में, बड़े ग्राफिसरों में उन्हीं काश्तकारों के बीच के लोग ग्राए हुए हैं जिस के पास काफी जमीनें हैं, जिनके बाप दादा बड़े-बड़े ग्रोहदों पर थे । ग्राज वही लोग बड़े-बड़े ग्रोहदों पर हैं । जब उन गरीबों पर ग्रत्याचार होता है तो बड़े किसानों के साथ कोनाइव करते हैं मिल जाते हैं ग्रौर हरिजनों पर ग्रत्याचार करने की छूट देते हैं । श्रीमन्, लड़ाई बिहार में भू-स्वामियों ग्रौर खेत मजदूरों के बीच की है ।

इसके पहले 3 वर्षों में बिहार राज्य में तथा तथाकथित नक्सलपंथी तबके के गरीब हरिजनों को जो ग्रपने हक के लिये मजदूरी के लिये, जमीन के लिये, ग्रपनी इज्जत के लिये लड़ते हैं उनको नक्सलवादी कह कर मार दिया जाता है । करीब-करीब 200 नौजवान हरिजन भोजपुर ग्रौर रोहतास जिलों के मार डाले गये । यह बात जगजीवन बाबू के जिले की है । वह खुद जानते हैं कि किस तरह से पुलिस से कोनाइव करके, मैजिस्ट्रेसी से कोनाइव करके सारे बड़े-बड़े काश्तकारों ने पुलिस को रुपया देकर यह नरहत्यायें करायी हैं । जिसकी इन्तिहा नहीं । मैं रिकार्ड की बात करता हूं, बड़ी गम्भीरता से जिम्मेदारी से कहता हूं कि ग्राप कमीशन बैठाएं ग्रौर जांच कराएं । ग्राप देखें इस लड़ाई के पीछे क्या है । ये गरीब ग्रपने हकों के लिये, मजदूरी मांगते हैं तो बड़े-बड़े काश्तकार पुलिस वालों से, मजिस्ट्रेसी से, सरकारी मुलाजिमों से मिल जाते हैं ग्रौर मिल कर उनको दबाते हैं ग्रौर इस तरह रोहतास की घटना घटी भोजपुर में, धरी, धनरुग्रा, मसौरी में ग्रौर उत्तर बिहार में हुई है । चम्पारन में 15 दिन पहले एक खेत मजदूर को पकड़ कर सामने थाने में मर्डर कर दिया । मैं कहता हूं क्या यह कहना सही है कि यह दो गुण्डों के बीच की लड़ाई है । मैं इसमें गृह मंत्री से डिफर करता हूं कि यह हिन्दू सोसाइटी की लीगेसी है जिससे यह होता है । इसका मतलब है ग्राप वेस्टेड इन्टरेस्ट के हैं, ग्राप ज़मीन वाले हैं । यह एक इकानामिक इश्यू है, इसको इस दृष्टि से देखना होगा तब इस समस्या को हल कर सकते हैं । मैं यह मांग करता हूं, ग्राप एक कमीशन ग्राफ इंक्वायरी कायम करें । ग्राप कमीशन ग्राफ इंक्वारी बनाने के मास्टर हैं, कई कमीशन बनाए इंदिरा जी पर । कितने ग्रौर ग्राप बनाएंगे उसकी इन्तिहा नहीं है क्योंकि एक प्रश्न पूछा गया था कि कितने कमीशन सरकार ग्रौर बनाएगी तो उसका जवाब कुछ नहीं मिला; उसका जवाब रिजेक्ट कर दिया गया तो ये कमीशन बनाने के मास्टर लोग हैं । इनको इंक्वायरी कमीशन बनाने में क्या हर्ज है; इतने कमीशन बनाए, यह भी एक कमीशन ग्राफ इंक्वायरी बना दिया जाये ।

मैं यह नहीं कहता चरण सिंह जी एन्टी हरिजन हैं । मैं उनकी बात मानने के लिये तैयार हूं कि हिन्दू सोसाइटी में हरिजनों को नीची दृष्टि से देखा गया है । उन पर ग्रत्याचार होता है इसलिये नहीं कि पोलिटिकल इश्यूज इन्वाल्व हैं । ग्राप इसको इस ग्रार्थिक नजरिए से टैकिल करने की कोशिश कीजिए । मेरी पहली मांग है ग्राप इंक्वायरी कमीशन बैठाइए सारे हिन्दुस्तान के लिए ग्रौर पर्टिकुलरली बेलची के काण्ड को लेकर ग्रौर बिहार में ग्रौर उड़ीसा में जहां जहां ये घटनाएं घटीं, यू० पी० में ग्रौर जगहों में भी । जगजीवन बाबू की कांस्टीट्युएंसी में इलेक्शन के तुरन्त बाद किसानों को ग्रपनी जमीनों से हटा देने के संबंध में तीन मर्डर्स हुए । मैं खुद उस जगह गया; मैंने देखा हरिजनों की बस्ती जला दी गई, पट्टे वाली परची छीन ली गई—जो ज़मीन गवर्नमेंट ने ग्रलाट की थी । मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा जो ज़मीन सरपलस थी, सीलिंग से फाजिल थी बिहार

में जो हरिजनों को बांटी गई थी उसको आज वड़ैल्ले से बड़े-बड़े काश्तकार छीन रहे हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं हुई हैं। आज हरिजनों के ऊपर तरह-तरह के अत्याचार हो रहे हैं। मैं कहूंगा, सचमुच में ठीक ही मेरे भाई ने कहा, जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो ये बड़े-बड़े किसान समझने लगे हैं कि उनकी सरकार हो गई तो अब हरिजनों की बात वह नहीं कहते हैं, "जाओ-जाओ, अब तो चौधरी चरण सिंह की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार, राजनारायण जी की सरकार है।" जो तथाकथित सोशलिस्ट हैं, मैं उनको असली सोशलिस्ट नहीं कहता, विशेष अवसर हरिजनों को देने के लिए लोहिया जी का जो सिद्धांत था, उसको जनता सरकार नहीं मानती है।

तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा आप एक कमीशन आफ इंक्वायरी बैठाएं और उसमें विशेष कर बेलचा और उसके बाद सारे हिन्दुस्तान में जहां-जहां हरिजनों पर एट्रासिटीज हो रही हैं, उन पर इंक्वायरी की जाए। दूसरी बात मैं चाहूंगा कि सरकार एक नीति निर्धारित करे, निश्चित रूप से हरिजनों को सर्विसेज में परसेन्टेज के आधार पर नौकरी दें। वैसे तो रिजर्वेशन है पर क्या उसका पालन होता है? मैं चाहता हूं आप इंक्वायरी कराएं कि क्या जो सर्विसेज़ में परसेन्टेज रिजर्वेशन का था वह पूरा हुआ है और अगर नहीं हुआ है तो क्यों? अगर आज उसके आदमी सर्विसेज़ में रहते तो उसको प्रोटेक्शन मिलता। मैं कहूंगा आप मजिस्टेसी में, पुलिस में, कांस्टेब्ली में, हर जगह, हरिजनों को, आदिवासियों को, वीकर सेक्शंस को, पिछड़ी जाति के लोगों को रिप्रेजेन्टेशन दीजिए जिनके घरों में एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं, नौकरी में उसके परिवार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आज उनको नौकरियों में तरजीह देने की बात होती है। वह नौकरी में नहीं आ पा रहे हैं। उन को आप नौकरी में तरजीह दीजिए और अधिक से अधिक उन को नौकरी दीजिए ताकि उन की रक्षा हो सके।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आप गृह विभाग को निश्चित रूप से निर्देश दीजिए कि इस तरह की घटनाओं में पुलिस विभाग तत्परता से कार्यवाही किया करे। मुझे खुशी है कि हमारे गृह मंत्री जी ने बिहार के मुख्य मंत्री जी को अच्छी चिट्ठी लिखी है। लेकिन मुख्य मंत्री जी के हाथ जोड़ने से उन से प्रार्थना करने से वह मानने वाले नहीं है। हमारे बिहार के मुख्य मंत्री सज्जन पुरुष हैं, दयालु हैं, सोशलिस्ट हैं, लेकिन उन में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है। उन में शासन करने की क्षमता नहीं है। ऐसे लोग शासन नहीं कर सकते। शासन करने के लिये डंडे की जरूरत होती है। सख्ती की जरूरत होती है जो हमारे मुख्य मंत्री यह नहीं कर सकते।

डा० रामकृपाल सिंह : आप डंडा अभी भूले नहीं है।

श्री रामानन्द यादव : अभी तीन दिन हुए आप ने वहां सात सौ आदमियों को जेल में बंद किया है और उन पर लाठी चलवाई है। यह भूलिये मत। खैर छोड़िये उस को। तो मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर वे मुस्तैदी के साथ कार्यवाही करें। जैसे तमाम राज्य सरकारों को खत्म करने के लिये विद वन स्ट्रोक आफ पेन उन्होंने कार्यवाही की थी ठीक उसी तरीके से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, उसी कर्मठता के साथ उसी लोह पुरुष की भावना के साथ जो अत्याचार हरिजनों पर आज हो रहे हैं उन को रोकने के लिये वे कोशिश करें और इस भावना से आप हरिजनों को मुक्त कीजिए कि इस राज में उन को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा।

श्री देवराव पाटील : उपसभापति जी, यह एक ऐसा सवाल था कि जिस पर हमारे सारे भारतवासियों का ध्यान लगा हुआ है।

[श्री देवराव पाटील]

सभी चाहते थे कि आदिम जातियों और जनजातियों का कैसे विकास किया जाय, उन का आर्थिक विकास कैसे हो और उन को कैसे प्रोटेक्शन मिले। लेकिन इस प्रश्न पर गृह मंत्रालय का रुख देख कर मुझे दुख हुआ। आज जो घटना हुई उस के परिणामस्वरूप हमारे तीन साथी यहां धरना देकर बैठे हुए है उस के लिये अगर कोई जवाबदार है तो वह हमारे बीजूपटनायक साहब है। और उन के दूसरे साथी ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हैं। इस सभा के जो नेता हैं वह संविधान जानते हैं, वह रूल्स जानते हैं काम काज के रूल्स जानते है, और गृह मंत्री सभा में रहते हुए भी बीजूपटनायक साहब प्रश्नों का जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उनका उद्देश्य यही था कि इस विषय पर चर्चा न पढ़े।

श्री रामानन्द यादव : मैं भी अपने साथियों के साथ धरना देने बैठ रहा हूं।

(At this stage, Shri Ramanand Yadav sat on the floor near the Chair)

श्री देवराव पाटील : मेरे भाई चौधरी साहब ने जो सवाल पूछा था उस का जवाब देना गृह मंत्री जी का काम था और गृह मंत्री जी जब खड़े हुए तो बीजूपटनायक साहब जवाब देने के लिए खड़े हो गये। इस डिस्कशन का रुख वह दूसरी तरफ मोड़ना चाहते थे, उस को डाइवर्ट करना चाहते थे। श्री चौधरी ने दो, तीन प्रश्न उठाये थे और उन का गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। उपसभापति, जी हरिजनों पर हमले के जो कुछ कारण गृह मंत्री ने बताये है वे ऐतिहासिक कारण हैं। वे नये नहीं है। आर्थिक और सामाजिक जो समस्यायें है उन के कारण ही यह सब हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी घटनाएं रोज हो रही है। मुझे भी वहां जाने का मौका मिला। दो, माह पहले मैं ने उन लोगों से बात की थी उनके विकास के लिये गांवों में जो बीस सूत्री कार्यक्रम के आधार पर काम किये गये थे, उनके आर्थिक विकास के लिये जो प्रयत्न हमने किया था, उन के सम्मान को बढ़ने का जो मौका हमने दिया था उस से कई बड़े लोगों को रन्ज था। मुझे मालूम है, एक दफे बिहार असेम्बली में स्पीकर जब शैड्यूल्ड कास्ट का था तो कई हमारे नान-शैड्यूल्ड लोग सम्मानित सदन में पहले आते ही नहीं थे क्योंकि पहले जाने के बाद उसको नमस्कार करने के लिए अपना सिर झुकाना पड़ता था। अब भी वही परिपाटी पड़ी हुई है। मैं वहां गया तो मुझे पता लगा कि—आप मानिये या न मानिये, चरण सिह जी मानें या न मानें, आडवाणी जी माने या न मानें—बिहार में और यू० पी० में कई ऐसे जमीदार हैं, मालदार लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी गवर्नमेंट बन गई हैं, जनता गवर्नमेंट उनकी गवर्नमेंट है। ये जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं ये अब आगे नही जा सकते। इस तरह की उनके दिल में भावना पैदा हो गई है, आप मानिये या नहीं मानिये। इसलिए यह भावना दूर करने की जरुरत है। कोई सवाल यहां पैदा हो जाते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं की तरफ देखने की जो भावना है उससे जनता गवर्नमेंट के बारे में, गृह मंत्रालय के बारे में उन लोगों का विश्वास निकल रहा है।

क्या हुआ आज यहां पर ? हमारे साथी चौधरी ने इस महत्व के प्रश्न पर कुछ गम्भीर सवाल पूछे थे और उसका जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए था। उन्होंने जबाव देने की कोशिश नहीं की उसको टालने की कोशिश की। इसीलिए इस सवाल पर जब सम्मानित सदस्य सवाल पूछते हैं तो उस पर जवाब नहीं मिलता है। इस केस के बारे में जो कानूनी कार्यवाही करनी है वह करिये, भारत में हरिजनों पर अत्याचार चल रहे हैं इसलिए हम डिमांड करते हैं — We demand the setting up of a commission of inquiry to inquire into the

excesses on the Harijans during the last three-four months.

श्रीमन्, आपकी ओर इस मांग के लिए लि ए मेरे साथीदार जो बैठे है उनके साथ मैं भी उनका साथीदार बन जाता है ।

(At this stage Shri Deorao Patil sat on the floor near the Chair.)

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, आपने बड़ी कृपा की और इस विषय पर जो चर्चा हुई उसके लिए काफी समय दिया। हम सब उसके लिए आपके कृतज्ञ हैं । हमारे कतिपय साथी, मान्यवर, धरने पर बैठे हुए हैं । यह इस बात का परिचायक है कि इस घटना से उनके हृदय को कितनी पीड़ा पहुंची है । ऐसा सोचना कि केवल यह कोई प्रदर्शन का ही तरीका है, इनके हृदय के साथ और इनकी पीड़ा के साथ अन्याय करना होगा। बेलची कांड एक घटना हुई है। परन्तु ऐसी कतिपय घटनायें हो रही है । गृह मंत्री जी ने कहा कि सैकड़ों वर्षों से इस प्रकार की चीजें चल रही है वह बात सही है । हमारे हिन्दू समाज का यह एक बड़ा भारी पाप है जो इस तरह की घटनायें घटती रही है । परन्तु आज इसमें सन्देह नहीं है कि वह गृह मंत्री हैं, सावधान होंगे, गृह मंत्रालय में उनके पास सूचनायें आई होंगी कि पिछड़े 3–4 महीनों से दुर्बल लोगों, हरिजनों और उनके वर्गों के ऊपर व्यापक रूप से ज्यादतियां और अत्याचार हो रहे हैं । बेलची की घटना तो सबसे प्रमुख घटना है जो किसी भी सहृदय व्यक्ति के हृदय को हिला देगी । पर हरिजनों के खेतों को जोत लेना, उनकी जमीनों से उनको निकाल देना, जो पट्टे उनको दिये गये थे प्रदेश सरकारों ने दिये थे उन पट्टों को वापस ले लेना, जहां बोया हुआ खेत था उनकी फसल को काट लेना, उनके मकानों को फूंक देना और उनके साथ ज्यादती करना आदि घटनायें रोज हो रही है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले हमने कानून बनाया था बाउंडिड लेबर के लिये और जिनको हमने मुक्त कराया था उनसे फिर जबर्दस्ती काम लेना और काम न करने आएं तो उनके ऊपर मार पड़ना, उनकी महिलाओं के साथ अन्याय करना, अत्याचार करना, उनकी इज्जत को खतरा पैदा करना, शुरू हो गया है । इस तरह की घटनाएं प्रतिदि ; हो रही है । मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे बहुत से ऐसे लोग जिनकी जमीनें आपने लेकर के पिछले महीनों में 20 पोइंट प्रोग्राम के अधीन कमजोर वर्गों को बांटी थीं और मकान बनाने के लिये स्थान दिये थे वे ही लोग फिर से जबर्दस्ती कब्जा कर रहे हैं । यह झूठी बात नहीं है, निराधार बात नहीं है । यह सत्य है और यह हम सब के अनुभव में है कि लोग यहां तक कहने लगे हैं कि हमारी जमींदारी वापस आने वाली है, कबीलों को परेशान करेंगे और उनकी जमीनों पर जबर्दस्ती कब्जा करेंगे । वह जमाना लद गया है, वह जमाना अब चला गया है अब हमारी जनता की सरकार है। अब वह यह कहते हैं कि तुम उठो और चल कर हमारे यहां काम करो । जो जमीन तुम्हे जबर्दस्ती दिला दी गई थी, तुमने हासिल कर ली थी वह हम जोत लेंगे । तुम लोगों पर अत्याचार करेंगे ।

मान्यवर, यह अकेले बिहार की घटना नहीं है। इस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में, बिहार, में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में और सब जगह हो रही हैं । आज उसकी पीड़ा है और पीड़ा इस बात के लिये है कि इस तरह की घटनाओं की तादाद बहुत बढ़ गई है । इस तरह की ज्यादतियां हरिजनों पर की जा रही है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये, अपने दुख को प्रकट करने के लिये माननीय सदस्यों ने आपके सन्मुख धरना देने का काम किया है ।

मान्यवर, गृह मंत्री जी देखेंगे और नेता सदन ने भी देखा होगा कि एक व्यापक मांग है कि इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाए, जुडिशियल इंक्वायरी की बात मैं नहीं कहत ।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

माननीय गृह मंत्री जी ने एक तर्क दिया कि जुडिशियल इंक्वायरी जब हो जाती है तो मुकदमों को चलाने में और सजा देने में देरी हो जाती है। यह अनुभव ठीक है और हमारा भी यही अनुभव है लेकिन आज प्रश्न जो है और जो मांग पेश की गई है, मैं अपने साथियों की ओर से और जो हमारे भाई धरने पर बैठे हुए हैं उनकी ओर से यह मांग करना चाहता हूं कि जुडिशियल इंक्वायरी नही बल्कि एक कमीशन आफ इंक्वायरी बैठायें ताकि पता लगे हम लोगों को कि यह जो एक नया उत्साह शुरू हुआ है हरिजनों को सताने का, एक नया आंदोलन चल पड़ा है उनकी जमीनों को छीनने का, खेतों को जलाने का, इसके क्या कारण हैं और इसके क्या उपाय हैं। इस प्रकार की जांच करने के लिये कोई कमीशन कायम किया जाए।

मान्यवर, यह बात सही है कि हमारे गृह मंत्री जी कई कमीशन कायम कर चुके हैं और एक ऐसा कमीशन जो सारे भारतवर्ष के लिये हो, कायम होना चाहिये, जिससे यह मालूम हो कि जो यह दुर्दशा हो रही है, एक नया आंदोलन शुरु हो गया है उसकी जांच के लिये, उसको रोकने के लिये क्या उपाय है और किन कारणों से यह शुरु हुआ है और कौन लोग हैं। मैं समझता हूं इससे न केवल इन घटनाओं पर प्रकाश पड़ेगा परन्तु हम सब का मार्ग-दर्शन भी होगा। मैं इनकी मांग का जोरदार समर्थन करता हूं और माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी इस मांग को स्वीकार करते हैं अथवा नहीं ? अगर यह एक कमीशन आफ इंक्वायरी बैठा दें तो इससे सब का लाभ होगा और लोगों को इससे शक्ति भी प्राप्त होगी और यह भी विश्वास होगा कि जनता की सरकार जिसकी अमलदारी में हरिजनों पर विशेष रूप से अत्याचार हो रहे हैं अन्याय हो रहा है, वह स्वयं इसमें जागरूक है। और इस चीज को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और इस तरफ आपने कदम उठाये है। मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से गृह मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे कमीशन-आफ इन्क्वायरी स्थापित करेंगे या नहीं, यह स्पष्ट किया जाये।

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, जहां तक इस हत्या काण्ड का सम्बन्ध है, मैं अपने बयान में जितनी चिन्ता, जितना क्षोभ प्रकट कर सकता था वह प्रकट कर चुका हूं। जबानी भी काफी बातें कह चका हूं। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं जो अन्याय हुआ है उसका पूरी तरह से वर्णन कर सकू। मैं आपके जरिए माननीय मित्रों को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितना भी गवर्नमेंट आफ इण्डिया का सामर्थ्य है और जितना भी स्टेट गवर्नमेंट्स को समझाया जा सकता है और जितना भी थोड़ा-बहुत पोलिटिकल दबाव डाल सकते है, वह सब कुछ हम करेंगे ताकि हरिजनों पर अत्याचार न हो सकें।

श्री कल्पनाथ राय : आप एक कमीशन कायम करेंगे या नही ?

श्री चरण सिंह : आप इस तरह से बोलते जाएंगे या मुझे भी बोलने देंगे ? अगर उन्होंने एक सेन्टेन्स में कमीशन नियुक्त करने की बात कही होती तो मैं भी एक सेन्टेन्स में ही जवाब दे देता। आप सब लोगों ने यहां व्याख्यान दे दिये, इसलिए अब मुझे भी कुछ बोलने दीजिये। आपकी तादाद यहां पर ज्यादा है, इसलिए आप मुझ गरीब पर अन्याय कर रहे हैं . . . (*Interruption*) मैं वैसे भी गरीब हूं और हमारी तादाद भी कम है।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां भी हरिजनों पर अत्याचार होंगे उसका प्रतिकार करने और उसको रोकने के लिए जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डिटरमिन्ड है और उसने इस बारे में पक्का इरादा कर रखा है। कमीशन बैठाने से सारी बातें तय नहीं हो जाती है। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे

थे, जो शायद अब धरना देने में शामिल हो गये हैं, उनका मैं बहुत कृतज्ञ हूं । उन्होंने कहा कि यह सोशियल प्रथा का ही दोष नहीं है, इसमें आर्थिक प्रथा का भी दोष है। मैं मानता हूं कि इसमें आर्थिक व्यवस्था का भी दोष है । आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रथाओं का दोष है । लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें सामाजिक प्रथा का दोष ज्यादा है । हिन्दू समाज जन्म पर आधारित है, बिरादरी में बंटा हुआ है । हजारों वर्षों से हमारे देश में यह प्रथा चल रही है कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा व्यक्ति अपने को दूसरे से ऊंचा समझता है । यह ऊंच नीच का सिलसिला हजारों वर्षों से चल रहा है । हरिजनों की समस्या केवल मात्र आर्थिक समस्या नही है, यह सामाजिक समस्या भी है । हमारे देश में सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए हज़ारों वर्षों से कोशिश की जा रही है । महात्मा बुद्ध से लेकर आज तक अनेक साधू-सन्त हुए हैं जिन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की है । स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी ने भी इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न किया । मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रथा में सुधार लाने के लिए जितनी तेजी से प्रयत्न होना चाहिए था उतना हुआ नहीं है । मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा दोष सामाजिक व्यवस्था का है । आज मुझे यह देख कर खुशी हुई है कि जो लोग हरिजनों पर अत्याचारों की बात करते हैं और जो बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को छोटी जात के नाम से पुकारते हैं, आज वे भी हरिजनों के ऊपर होने वाले अन्याय की बात करते हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार किये जाते हैं उन अत्याचारों और अन्याय को मिटाने के लिए हमारी सरकार का पूरा प्रयत्न रहेगा । हमारा यह प्रयत्न होगा कि किसी भी हालत में हरिजनों के ऊपर, गरीबों के ऊपर अन्याय नहीं होने दिया जाये । इसे देख कर मुझको तकलीफ होती है । अगर हम ईमानदारी से चाहते हैं कि हरिजनों के साथ अन्याय न हो तो इसके लिये सबसे पहली शर्त यह है कि बिरादरी को मिटाने का रिजोल्व किया जाय, हेयर एण्ड नाव । लेकिन नहीं होंगे तैयार ।

(Interruption)

उपसभापति महोदय, अगर मेरे दोस्त तैयार हैं तो अपने लीडर्स को तैयार करें ।

(Interruption)

बड़ी मुश्किल की बात है । बात तो सुनिये । यह 1954 की बात है । मैंने माननीय नेहरू जी को एक चार सफे का एक लम्बा खत लिखा कि जात-पांत इस देश की सबसे बड़ी वीकनेस है, आज आपके हाथ में पोलिटिकल शक्ति है, आप कांस्टिट्यूशन्स में अमेंड-मेंट करा दीजिये और मैंने उसमें सजैशन करते हुए लिखा था कि कास्ट के कोई माने नहीं हैं "कास्ट इज ए ग्रुप आफ पर्सन्स टू मेरी अमोंग देमसेल्वस" । उन लोगों के ग्रुप का नाम एक बिरादरी है जो कि आपस में शादी कर सकते हैं । तो शादी इसकी जड़ है । तो जो जड़ है क्या उस पर कुल्हाड़ा चलाने को तैयार है ? इसके लिये हम किसी को मजबूर नहीं करना चाहते कि वह इन्टरकास्ट मैरेज करें । लेकिन इतना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि कम से कम गवर्नमेंट में जो गजेटेड सर्विस में हैं उनके लिये यह लाजिमी कर दिया जाय कि वही लड़का गजेटेड सर्विस में आ सकता है, जो इन्टरकास्ट मैरिज करने को तैयार हो । हम आदमी का इम्तिहान लेते हैं, उसके दिमाग, उसके मस्तिष्क और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के लिये कम्पीटीशन होता है । हम उसके शरीर का भी इम्तिहान लेते है । अगर वह पुलिस में जाता है तो वहां यह देखा जाता है कि इतनी उसकी ऊंचाई है, इतना उसका कद है और इतना उसका वजन है । उसकी छाती 31, 32, 33, 34 इंच होनी चाहिए, उसकी आई साइट अच्छी

हो, उसको कोई रोग न हो । दूसरी चीज दिल है । शरीर, दिल और दिमाग तीन चीजें हैं । दिल को कहा जाता है कि दिल में हो । दिल उसका बड़ा होता है जिसके पास हमदर्दी का दयरा बड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा आदमी उसके दिल में बैठ सकें । तंग दिली दिल का अवगुण है । मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बा नहीं करना चाहता हूं । हमारे देश की परिस्थितियों में बिरादरी दिल को छोटा करने का सबसे बड़ा कारण है । आज आदमी की हमदर्दी केवल अपनी बिरादरी से है । यदि दिल विस्तृत नहीं है तो जो आदमी उसके पास आयेंगे, जो बड़ा अफसर हो जायेगा तो 'इर्रेस्पैक्टिव आफ कास्ट कन्सीडरेशन्स' से सबके साथ बर्ताव करेगा । तो इसके लिये उन नौजवानों से, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, से यह उम्मीद करते हैं कि उनका दिल बड़ा हो, उसकी सिम्पैथी लिमिटेड न हो और वह इन्टरकास्ट मैरेज करें । मैं जानता हूं, शर्मा साहब, कि जो नौजवान स्कूल और कालेज में पढ़ते हैं, उनमें यह कमजोरी नहीं है जो उनके बाप-दादों में थी । हमारी बेटियां जो कालेजों में पढ़ती हैं, वे भी इन्टरकास्ट मैरेज करना चाहती हैं । यह सब मैंने पंडित जी को लिखा था कि हम किसी को मजबूर न करें । हमें किसी को मजबूर नहीं करना है । रुड़की से इंजीनियर की डिग्री लेकर जो नौजवान इंजीनियर बनना चाहता है, पी० सी० एस० में जो आना चाहता है, उसको कहते हैं कि वह ग्रेजुएट हो । सर्व-साधारण को हम मजबूर नहीं करते । राइट आफ वोट, राइट आफ होल्ड प्रापर्टी, राइट टु बियर आर्म, सभी को मिले हैं । जो सरकारी सेवा में आना चाहते हैं, उन्हीं के लिये हमारी शर्त है कि उसकी मिनिमम क्वालीफिकेशन यह हो कि वह ग्रेजुएट हो, इसी तरह का शरीर हो जो बीमारियों से मुक्त हो । पुलिस और आर्मी में चाहते हैं कि शरीर हृष्ट-पुष्ट हो । लेकिन दिल का कोई इम्तिहान नहीं लेता है कि इन्टरकास्ट मैरिज करो । हम किसी को मजबूर नहीं करते । सिर्फ इसकी हम उनसे आशा करते हैं जो यह दावा करते हैं कि हम देश की सेवा करेंगे और लोगों को एक दृष्टि से देखेंगे । केवल वे ही इन्टरकास्ट मैरेज करें ।

उपसभापति महोदय, अब मैं आपको अफसोस के साथ बताना चाहता हूं कि मानीय पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके लिये तैयार नहीं हुए । यह 1954 की बात है मैं कह रहा हूं । मेरे पास वह लैटर भी रखा है ।

(*Interruption*).

श्री कल्प नाथ राय : नेहरू परिवार ने बड़ा काम किया है ।

SHRI G. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Nehru was not prepared to accept it.

श्री उपसभापति : बैठिये, बैठिये ।

श्री कल्प नाथ राय : हल्ला बन्द करो, बैठो

(*Interruption*)

श्री उपसभापति : आप बैठ जाइये ।

श्री गुणानन्द ठाकुर : उपसभापति जी, मैं हस्तक्षेप नहीं करता हूं । गृह मन्त्री जी के लिए मेरे दिल में बहुत आदर है । परन्तु एक प्रश्न का मैं खुलासा चाहता हूं चुकि गृह मन्त्री जी बहुत पुराने राष्ट्रीय आन्दोलन में नेता रहे हैं, स्वर्गीय पण्डित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यह सोचना कि वे जात-पात के घेरे में थे. . (*Interruption*). इस सम्बन्ध में मैं माननीयगृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं . . .

(*Interruption*).

श्री चरण सिंह : यह उसी तरह का सवाल है जिस तरह ख़तूत के सिलसिले में उठा था । अगर मैं वह खतूत पेश कर दूंगा तो क्या होगा ? जो मैं बात कह रहा हूं वह खत मेरे पास मौजूद हैं, फिर आप क्यों बोलते हैं ?

شری سید احمد هاشمی (اتر پردیش) :- جو اصل مسئلہ ہے اس پر ٹو دی پوائنٹ بات کیوں نہیں کرتے -

[श्री सैयद अहमद हाशमी (उत्तर प्रदेश) : जो असल मसला है उस पर टू दि प्वाइंट बात क्यों नहीं करते ।]

श्री चरण सिंह : असल मसला यही है . .

(Interruptions)

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उपसभापति महोदय, मुझे केवल आधा मिनट का समय दे दीजिए । हिन्दुस्तान में केवल नेहरू परिवार ने ही जात-पात को तोडा है और आप जैसे लोगों ने जात-पात को बढ़ाया है । यही है दुनिया का उदाहरण ।

श्री चरण सिंह : अब छोड़िये, तोड़ा है, किस ने तोड़ा है, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता । मैं तो कह रहा हूं मैंने श्री जवाहर लाल नेहरू को, प्राइम मिनिस्टर होने की हैसियत से जिस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी का मैम्बर था कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए जब बात चल रही थी पत्र लिखा था । आप मेरी बात का यकीन कीजिए । खैर, वे तो तैयार नहीं हुए पर आप तैयार हो जाइये । असल चीज़ यह है कि जब तक कास्ट सिस्टम रहेगा 'कमीशन विल बी ओफ नो अवेल' । कोई फायदा नहीं है । उपसभापति महोदय, दूसरी बात मैंने यह कही है जब तक हम स्वयं ऊंच-नीच में विश्वास करते रहेंगे, जब तक कास्टीज़्म रहेगा तब तक हरिजनों का मामला हल होने वाला नहीं है । यही मैंने कहा है । अब आप . . .

(Interruptions)

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, इसमें गृह मन्त्री जी की राय यह मालूम होती है कि कमीशन कायम न किया जाए, इसका कोई लाभ नहीं है । ऐसा उन्होंने कहा 'कमीशन विल बी आफ नो अवेल' । यह मैं पूछ रहा था, उनकी राय मालूम होती है . . .

एक माननीय सदस्य : पूरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, गृह मन्त्री जी 1954 की बात कर रहे हैं । मैं इन्हीं के प्रश्न के उत्तर के विषय में कहना चाहता हूं जो इन्होंने पिछले सैशन में दिया था । मैंने प्रश्न किया था कि लोगों के नाम के आगे से जाति-वाचक शब्द हटाने चाहिएं । तो गृह मन्त्री जी ने पिछले सैशन में जवाब दिया कि यदि जातिवाचक शब्द हटा दिए जाएं तो लोगों को पहचानना कठिन हो जायेगा ।

श्री चरण सिंह : मैंने नहीं कहा, हरगिज़ नहीं कहा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : तो मैं कह रहा था कि मैं आपको वह उत्तर दिखाना चाहता हूं । मुझे आश्चर्य हुआ कि चौधरी चरण सिंह जैसे गृह मन्त्री यह कहें कि जातिवाचक शब्द हटा देने से पहचानना कठिन हो जाएगा *(Interruption)* यहां पिछले सैशन में राज्य सभा में उत्तर दिया था . . .

(Interruption).

श्री चरण सिंह : अब तो मैंने यही कहा है कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर को लैटर लिखा था . . . शास्त्री जी आप नाराज क्यों होते हैं । मेरे बिना देखे हुए कहीं अनस्टार्ड क्वैश्चन का जवाब जल्दी में चला भी गया हो, तो वह गलत है . . .

(Interruption).

उपसभापति महोदय, मुझको याद नहीं है . . .

(Interruption).

†[ ] Devanagri transliteration.

श्री सैयद अहमद हाशमी : सदन को आपकी बातों का भरोसा नहीं रह गया है।

(*Interruption*).

श्री चरण सिंह : मैं इनको सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

(*Interruption*).

श्री सैयद अहमद हाशमी : सदन द्वारा आपके जवाबों पर भरोसा किया जाय या नहीं।

(*Interruption*).

SHRI KAMESHWAR SINGH: Mr. Deputy Chairman, Sir, I am on a point of order. Sir, any question which is replied to on the floor of the House, whether it is a Starred Question or an Unstarred Question, is the responsibility of not only the Ministry concerned but the whole Council of Minsters.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We are not discussing that point.

श्री चरण सिंह : यह प्वाइंट आफ आर्डर कैसे होता है... (*Interruption*) मैं यह कह रहा था कि मैंने ऐसा जवाब नहीं दिया है। मैंने यह कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने कभी ऐसी बात कही। लेकिन अगर यह कही हो तो मैं यह याद कर रहा हूं कि हो सकता है कि जल्दी में किसी अनस्टार्ड क्वैश्चन पर मेरे दस्तखत इस तरह से हो गये हों। मैं सिर्फ यही कह रहा था और आप उसी का फायदा उठाना चाहते थे। मैं यह कह रहा हूं कि अगर वह कहा था तो गलत कहा था। इससे आपका मसला कैसे हल होता है। मैं बिरादरी को मिटाने की बात कहता हूं क्या उसके लिये कोई तैयार है। बोलो ?

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (उत्तर प्रदेश) : हम लोग तैयार हैं, हम लोग तैयार हैं। मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि कमीशन आफ इन्क्वायरी पर इसके रेफरेंस के लिए क्या आप यह इश्यू रखेंगे कि जाति-पाति मिटा दी जाय।...

(*Interruption*).

श्री चरण सिंह : कमीशन आफ इन्क्वायरी पर यह रेफरेंस नहीं हो सकता है आप कैसी बात कह रहे हैं।

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : लाखों आदमी तैयार हैं जात पांत तोड़ने के लिये।

(*Interruption*).

श्री चरण सिंह : (*Interruption*) यह आप क्यों कहते हैं ?

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : मैं इसलिए कहता हूं कि आपकी नीयत खराब है।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, the Leader of the Opposition in the course of the discussion has made it specifically clear that we do not want social philosophy to be discussed by Mr. Charan Singh, the Home Minister. His question has to be replied whether an enquiry commission or a commission of enquiry is going to be set up or not. We all know the remedies. We want specific Government remedies. He is here to suggest the remedies. He could not suggest and we have suggested one.. Let him say whether he is a agreeable to it or not. He need not discuss the whole social philosophy.

श्री चरण सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी एक माननीय मित्र ने कहा था कि नीयत खराब है। अगर यह कहा जायगा कि नीयत खराब है तो मैं कहूंगा कि झूठ बोल रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि बेइमान हैं तो मैं कहूंगा कि आप गुंडे हैं तो इस प्रकार बहस होगी ? कैसे हो सकती है ? दूसरे की नीयत पर हमला करना, पढ़े लिखे, बुजुर्ग आदमी के लिये जिनके सारे बाल सफेद हों, वह यह बात कह रहे हैं... ((*Interruption*))

श्री विश्वम्भर नाथ पांडे : मैं इसलिए कहना चाहता था कि एक ऐसा आदमी बोल रहा है कि जिसने जात-पांत तोड़ी है, उसके खानदान ने तोड़ी है, एक नहीं 15 आदमी जात-पांत तोड़ कर आये हैं। इसलिए अगर आप जात-पांत मिटाना चाहते हैं तो कमीशन आफ इन्क्वायरी पर यह रेफरेंस दिया जाय कि जात-पांत उसमें नहीं रहेगी। अगर आप यह नहीं कहते तो फिर आप बहाना बना रहे हैं, आपकी नीयत साफ नहीं हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने अगर जात-पांत तोड़ने में अपना योगदान दिया हैं तो यह स्वागत की बात है। उसका सम्मान है, उसका आदर है। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है कि वह दूसरे की नीयत पर आघात करें। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह शब्द उचित नहीं हैं।

(*Interruption*)

شری سید احمد هاشمی :- بات
تو دی پوائنٹ هو تو بات بنتی هے -
هوچ پوچ جو بات هو رهی هے اس
میں طے کرنے کے لئے اصل مسئله
گول هو جاتا هے تو ایک اسپیسیفک
کویسچن یا ایک متعین سوال هو اس
کے مطابق هی جواب دیا جانا چاهئے
اتنی لمبی چوڑی هسٹری اور پوری
تاریخ هندوستان کی بیان کی
جائیگی تو وه مسئله کا حل نهیں
هوگا - میرا یه سوال هے که کیا انکوائری
کمیشن هوم منسٹر قائم کر رهے هیں
یا نهیں کرینگے اس کا ایک
اسپیسیفیک جواب هونا چهئے هوگا
یا نهیں هوگا -

†[**श्री सैयद अहमद हाशमी** : बात टू दि प्वाइन्ट हो तो बात बनती है। हौच पौच जो बात हो रही है उसमें तय करने के लिए असल मसला गोल हो जाता है तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन या एक मुत्तैयन सवाल हो उसके मुताबिक ही जवाब दिया जाना चाहिए। इतनी लम्बी-चौड़ी हिस्ट्री और पूरी तारीख हिन्दुस्तान की बयान की जायेगी तो वो मसला का हल नहीं होगा। मेरा यह सवाल है कि क्या इन्क्वायरी कमीशन होम मिनिस्टर कायम कर रहे हैं या नहीं करेंगे उसका एक स्पैसिफिक जवाब होना चाहिए, होगा या नहीं होगा।]

श्री बलराम दास (मध्य प्रदेश) : यह जात बिरादरी का मसला जो मंत्री महोदय ने रखा है जब तक यह जात बिरादरी खत्म नहीं होगी तब तक क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे और हरिजनों पर ये अत्याचार होते रहेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है कमीशन आफ इंक्वायरी अपाइन्ट किया जाए और अगर यह नहीं किया जाता है तो मैं भी धरना देने वालों में शामिल होता हूं।

(*At this stage, Shri Balram Das sat on the floor near the Chair*).

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उपसभापति जी, आज दोपहर को जो बहस हुई है उसमें कमीशन की मांग आपरेटिव पार्ट के रूप में उठाई गई है इसलिए गृह मंत्री जी निश्चित रूप से उसका उत्तर देंगे लेकिन आज के व्याख्यानों मे कई बातें कही गई हैं और उनका आघात, मेरे ख़याल में, सरकार पर रहा है और विशेष कर गृह मंत्री जी पर रहा है। मैं समझता हूं, किसी भी बहस में न्याय का तकाज़ा है कि जिस पर आघात किया जाए और व्यक्तिगत रूप से नाम लेकर आघात किया जाए, उसको अपनी बात कहने के लिए पूरा अवसर दिया और उन्होंने (गृह मंत्री ने) एक भी अप्रासंगिक बात नहीं कही है।

†[ ]Devnagri transliteration.

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

गृह मंत्री ने जो बातें कहीं वे आज की बहस में उठती हैं। इसलिए अगर कमीशन की बात का उत्तर न दें तो शिकायत हो सकती है। लेकिन कमीशन की बात का उत्तर बराबर देते रहे हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह (बिहार) : उपसभापति जी, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे बतायें कि क्या कमीशन सेट अप करना चाहते हैं या नहीं ? उन्होंने हृदय की विशालता की बात कही है, तो क्या उनका हृदय इतना विशाल है कि वे इन्क्वायरी कमीशन सेट अप करेंगे।

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : पूरी बात आप शांति से सुनिए तो।

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, मैं जवाब दे रहा हूं. . . *(Interruption)* आप उनको रोकिए, अब दूसरी तरफ से खड़े हो गए माननीय सदस्य। बोलने कहां दे रहे हैं।

उपसभापति जी, मेरे माननीय मित्र जिस तरह का व्यवधान यहां करते हैं, इन्ट्रप्शन करते हैं, एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, और सब मिल कर जो शोर मचाते हैं तो उस तरह से सदन में बोलना मुश्किल होता है।

श्री कामेश्वर सिंह : लोक सभा में नहीं होता है ?

श्री चरण सिंह : लोक सभा में होता है लेकिन वहां कम से कम बहस तो होती है।

उपसभापति महोदय, मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि माननीय सदस्य का कहना था कि सामाजिक व्यवस्था से यह अव्यवस्था है उसका जिक्र मत कीजिए। आपकी तरफ से यह कहना है कि साहब, अत्याचार बढ़ रहे हैं और तीन महीने के अंदर और बढ गए और अगर कमीशन आफ इंक्वायरी इस केस में हो जाए तो सारे मसले हल हो जायेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूं, इस तरह मसला हल नहीं होगा। मैं बतला रहा हूं, यह बीमारी पुरानी है और 30 साल तक अबाध गति से राज चला और उसमें भी बहुत बड़े-बड़े काण्ड हुए हैं। . . *(Interruption)* आपको बोलने का तरीका मालूम करके बोलना चाहिए, नहीं तो आप मुझे बोलने दीजिए।

श्री कामेश्वर सिंह : आप भी कांग्रेस में रह चुके हैं।

श्री चरण सिंह : मैं सेन्ट्रल गवंनमेन्ट की बात कह रहा हूं। मैं कांग्रेस में रह चुका हूं तो इसका जवाब ही नहीं दे सकता हूं। क्यों बेहूदा बात कर रहे हैं ?

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, in Mr. Charan Singh's constituency the Harijans were locked up in their homes on the eve of the elections. They were physically tortured. How can he have any sympathy for them? You can see he is himself the accused.

(Interruption)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : श्रीमन्, कब तक चलेगा यह तमाशा ?

श्रीमती पूरबी मुखोपाध्याय : तब तक चलेगा जब तक इंक्वायरी कमीशन नहीं होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please have patience. The hon. Home Minister is replying and he will surely conclude. Please have patience.

SHRI M. R. KRISHNA: Sir, he is worried about the details. Instead of three months he can do it in one year. If he accepts the principle, that is enough.

4 P.M.

श्री चरण सिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि तीन महीने के अन्दर सिचुयेशन डिटैरियोरेट कर गयी, जुल्म बढ़ गये और मैं उसका जवाब देने वाला हूं, लेकिन मैं यह कह रहा था इन तीन महीनों में जो जुल्म बढ़े उनके लिये तो कमीशन की आवश्यकता है और वह कमीशन ऐसा कि इन सारी चीजों में जायेगा, लेकिन तीस साल से जो जुर्म हो रहे थे, जिन के लिये आपके बहुत से सरकुलर गये है, जिनके लिये आप ने कानून में तरमीम भी की है और वह बहुत ठीक किया, लेकिन उसके बाद भी जुर्म हुए, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि तीन महीने में इस गवर्नमेंट के आने के बाद इसकी वजह से सब कुछ हो गया तो मैं कहना चाहता हूं कि यह रोग पुराना है। कास्ट सिस्टम इसकी वजह से है। उस बारे में जब मैं कहता हूं कि तीस साल से आप ने क्या किया तो आप चिल्लाने लगते है। आपके लीडरों के हाथ में पावर थी। मैं सेंटर की बात कह रहा हूं। आपने क्या किया ? मैं अपनी राय दे चुका। मैं ने कांग्रेस में रहते हुए भी 1954 में पंडित जी को मशविरा दिया था जो कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब यह कहा जाता है कि जुल्म बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं। इन तीन महीनों में स्थिति असह्य हो गयी है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह फैक्ट्स के विपरीत है और किसी और उद्देश्य को दृष्टि में रख कर यह प्रचार किया जा रहा है जनता पार्टी के खिलाफ। अब मैं फैक्ट्स रखना चाहता हूं। मेरे पास फीगर्स हैं हर स्टेट के। हरिजनों के खिलाफ जो इंसीडेंट्स हुए 1971 से ले कर अभी तक के, उनके फीगर्स मेरे पास है और उनसे मालूम हो जायगा कि जनता पार्टी आने के बाद आया जुर्म बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। कमलापति जी ने कहा कि जुर्म बढ़े हैं। आप यह किस आधार पर कह रहे हैं आखिर आधार तो आंकड़े ही होंगे। आप ने कहीं से इकट्ठे किये होंगे। किसी सूबे के होंगे। तो आपके पास कोई सबूत नहीं। एक बात मान ली और उसकी बेसिस पर हर आदमी खड़ा हो गया कि अत्याचार बढ़ गये, अत्याचार बढ़ गये। अब यह फैक्ट्स हैं।

डा० राम कृपाल सिंह : अखबारों में छपने नहीं देते थे।

श्री चरण सिंह : वह तो छिप गये। मैं इन आंकड़ों को 1974 से ही दे रहा हूं। और हर तिमाही के आंकड़े आप के सामने रख रहा हूं। 1974 की पहली तिमाही मे 1040 जुर्म हुए, दूसरी में 1182 हुए, तीसरी में 1506 हुए, *(Interruption)* हरिजनों पर जितने जुल्म हुए हैं वे सब इसमें मौजूद हैं *(Interruption)* मर्डर्स भी निकाल दूंगा।

श्री डी० पी० सिंह : यह मर्डर्स के आंकड़े नही है।

श्री चरण सिंह : मुझे ताज्जुब हो रहा है कि एक सज्जन जो वकील हैं, वकालत करते है, जिनसे आशा की जाती है कि उनका ट्रेन्ड माइन्ड है और वह ठीक बात करेंगे, वह ऐसी बात करते है। आपके बीच मे मैं कभी दखल नहीं देता। मैं बीच में नहीं बोलता।

श्री डी० पी० सिंह : मिसलीड मत करिये।

श्री चरण सिंह : आप बीच में दखल नहीं दे सकते। मैं बोल रहा हूं।

श्री डी० पी० सिंह : आप मिसलीड मत करिये।

श्री चरण सिंह : उम्मीद की जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, आप में कोई रिस्ट्रेन होना चाहिए। उपसभापति महोदय, मैं अब 1977 को ले लेता हूं। पहली तिमाही में 828 और अप्रैल से ले कर जून तक 380 जुर्म हुए है कुल हिन्दुस्तान मे।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Who will report to you when the District Magistrate. . .

SHRI CHARAN SINGH: She cannot address me directly.

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: You have not given that orientation to your officers to report such cases. Go to the field and see what is happening.

श्री चरण सिंह : श्रीमन्, कोई श्रीमती पुरबी मुखर्जी हैं, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस की, वह जरा जिम्मेदारी से बात करेंगी, लेकिन मै आप से बात कर रहा हूं, वह बीच में बोल रही है। यू यू करके आप मुझे अड्रेस नहीं कर सकती हैं इस तरह से। (*Interruption*)

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: He does not know the difference between Question Hour and Calling Attention. (*Interruptions*)

श्री कामेश्वर सिंह : चौधरी साहब, ये महिला हैं, इनकी बात आपको सुननी चाहिए।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to make it very clear. What I would like to say is that, Government have to show their intention through their officers. They issue directives from time to time. It is a well-known fact that sometime or the other, in the whole of India, atrocities do take place. We are not happy over it, whether it was under the Congress regime or under the Janata Party regime now. But we have to tackle the situation. We have to tell the officers to take cognizance of the facts. Did he issue any such instructions to his officers since he became the Home Minister?

SHRI G. LAKSHMANAN: Sir, may I seek a clarification? I would like to know whether any such commission was appointed during the 30 years of Congress rule in this country, according to the statistics available. (*Interruptions*)

SHRI M. R. KRISHNA: Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Member. . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please resume your seat.

SHRI M. R. KRISHNA: There was a permanent Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Mr. Lakshmanan, there was a permanent Commissioner.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order please. Mr. Krishna, please resume your seat.

श्री चरण सिंह : उपसभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि मेरे पास आंकड़े सन् 1971 से अब तक के हैं। क्वार्टरली आंकड़े है। मैंने सिर्फ 1974 के पढ़े थे। 1974 से आगे पढ़ने नहीं दे रहे है तो मैंने 1977 के सुनाये। जनवरी से मार्च तक 828 जुल्म हुए, अप्रेल से जून तक 380 हुए।

श्री भीष्म नारायण सिंह : हम यह आग्रह कर रहे है कि कमीशन अपाइंट करेंगे कि नहीं करेंगे। दुनिया भर के जंजाल से हमें कोई मतलब नहीं। कमीशन की नियुक्ति करेंगे या नहीं? यह उनसे कहा जाए स्पैसिफिकली कि कमीशन नियुक्त करेंगे या कि नहीं।

श्री चरण सिंह : यह स्कीम मालूम होती है कि बोलने न दिया जाये। बार बार यह कहा जा रहा है कि जुल्म बढ़े हैं। आंकड़े आपको देता हूं और मैं ढाई सौ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स से जो आंकड़े इकट्ठे हुए हैं वह दे रहा हूं तो कहते है कि ये फर्जी है।. . . (*Interruption*) जो जुल्म हुए हैं, कैसे साबित होगा।

'How do we prove it?' I will like to know.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Sir, on a point of information.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No information, please. Please resume your seat.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: The Minister is asking: How do we prove it?'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please do not interrupt like this. Please resume your seat.

श्री महेन्द्र मोहन मिश्र (बिहार) मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके दिल में विचारणया क्या है हरिजनों कीरक्षा करना या उनको मारना ? क्या विचार है ? . . . . (Interruption)

SHRI D. P. SINGH: Sir, I would like to put a question to the hon. Home Minister. The figure that he is trying to give is an omnibus figure. (*Interruptions*) This is going to be very misleading.

श्री उपसभापति : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। उसमें आपको कोई शंकायें होंगी तो और पूछ लीजिए उनसे।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD (Kerala): Sir, I want one clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am requesting the hon. Members to let the hon. Minister finish and if there is anything, you can ask the clarification after he has finished.

श्री चरण सिंह : उपसभापति जी, मैं फिर दौहराना चाहता हूं यह आरोप कि जनता पार्टी के सत्तारूढ़ होने के बाद जुल्म बढ़े हैं यह गलत है। कोई आपके पास आधार नहीं है ।

अब रही कमीशन की बात । कमीशन की नियुक्ति करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ सवाल यह है कि बिहार के लेजिस्लेचर ने जो कमेटी बैठाई हुई है एक तरफ तो इस मामले की वह कमेटी तहकीकात करेगी और दूसरी तरफ यह कमीशन, यह कहां तक उचित होगा . . . .

(*Interruption*)

श्री डी० पी० सिंह . यह गलत है । हम लोग जनरल कमीशन की बात कर रहे हैं इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है ह दोनों पैरलल भी चल सकते है। . . . . .

(*Interruption*)

श्री सुन्दर सिंह भंडरी : अभी तक तो इस घटना के लिये कमीशन आफ इंक्वायरी की बात हो रही थी और अब जनरल कमीशन की बात हो रही है ।

श्री डी० पी० सिंह : कर्नाटक में भी तो दो कमीशन साथ साथ चलाए गए यहां भी चलाए जा सकते हैं . . .

(*Interruption*)

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : इसी का दर्द हो रहा है . . . . .

(*Interruption*)

श्री कल्प नाथ राय : 13 आदमी जिन्दा जला दिये गये . . . . .

श्री उपसभापति : अब जब कमीशन के ऊपर बात शुरू हुई तो अब आप सुनना नहीं चाहते ।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: Mr. Deputy Chairman, for clarification, what our Leader wanted...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No clarification.

SHRI G. LAKSHMANAN: I oppose the appointment of a Commission by the Central Government. It will be an interference in the affairs of the

[Shri G. Lakshmanan]

State. We are in a federal set-up. It will be interfering in the State Government's affairs.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order please. Let the Minister reply.

(*Interruptions*)

SHRI G. LAKSHMANAN: It will be an interference...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order please. Hon. Members, you should obey the Chair. I humbly request you. (*interruptions*). You need not... (*Interruptions*)

SHRI G. LAKSHMANAN: I oppose the Commission on the reason....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This will not go on record. I am requesting you to please resume your seat. If you have anything to say, you can speak, but if they are speaking loudly you need not compete with them. (*Interruptions*). Please listen. There is plenty of time. I have allotted so much time. If necessary, I will allow more time but let the proceedings go on.

श्री चरण सिंह : उपसभापतिजी मैं यह अर्ज कर रहा था कि जैसा माननीय मित्र ने कहा कि यह स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट के लेजिस्लेचर ने कमेटी बैठा ली है और वह कमेटी उसकी तहकीकात करेगी। उसके बाद अगर जरूरत समझी गई और उस कमेटी ने कहा या वहां के चीफ मिनिस्टर ने जरूरत समझी या हमने जरूरत समझी तो उस वक्त कमीशन की नियुक्ति पर विचार हो सकता है। लेकिन आज जब यह कमेटी काम कर रही है तो इस प्रकार के कमीशन बैठाने की मैं जरूरत नहीं समझता। यहां के आठ साहेबान भी वहां गये हुए हैं और वे पार्लियामेंट के मेम्बर हैं पर वे निजी तौर पर गये हैं वे वहां जाकर मौके पर तहकीकात करेंगे मैं समझता हूं जो पार्लियामेंट के मेम्बर गए उनको ज्यादा नालिज होगी। उनके आने के बाद अगर जरूरत समझी गई तो उस पर विचार किया जा सकता है। अभी तो यह बात हो रही थी कि इस घटना के लिए कमीशन मुकर्रर किया जाए इंसिडेंट की तहकीकात की जाए लेकिन. अभी एक एडवोकेट साहब ने कह दिया कि सारे हिन्दुस्तान में हुए अत्याचारों की तहकीकात कि जाये। इस तरह से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अब अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस बहस पर मुश्किल से एक घंटा लगना चाहिए था लेकिन इस पर तीन घंटे तक बहस हो गई। इस पर सदन का बहुत टाइम खर्च हुआ। बहुत से दोस्तों में काफी जोश था। इसका उनके दिमाग पर भी असर पड़ा होगा और दिल पर भी असर पड़ा होगा। अगर रोज यही होता रहेगा तो हमे चुप बैठा रहना पड़ेगा। इस प्रकार से हम पार्लियामेंट की कोई अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं रख सकेंगे।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर, गृह मंत्री जी ने बहुत लम्बा और शुद्ध भाषण दिया। उन्होंने सारे इतिहास पर अच्छा प्रकाश डाला। लेकिन हमारा एक बहुत छोटा सा सवाल था और वह सवाल यह था और हमारी मांग यह थी कि कमीशन आफ इन्क्वायरी बैठाया जाये। आपने बहुत से कमीशन बैठाये हैं एक यह कमीशन भी बैठा दीजिये जो इन सारी बातों की जांच करे।

SHRI G. LAKSHMANAN: During the Congress rule, was there a Commission? ... (*Interruptions*)...I want to know, is there any provision?... (*Interruptions*)

SHRI M. R. KRISHNA: Your party has not got any inquiry instituted on atrocities committed against the Harijans.

श्री कमला पति त्रिपाठी : कांग्रेस गवर्नमेन्ट के द्वारा कमीशन बैठाने की बात आज नहीं है। आज तो हमारी मांग यह है कि सदन में जो सरकार बैठी हुई है जो सत्ता में है, जिसके बारे में यह कहा जाता कि उसके

आने के बाद हरिजनों के ऊपर जुल्म बढ़ रहे हैं उसकी जांच के लिए और उपाय खोजने के लिए एक कमीशन आफ इंक्वायरी बैठाया जाये । इस बात पर बहुत समय लग गया । हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया । हमने कमीशन आफ इन्क्वायरी बैठाने की बात केवल बिहार के मसले की जांच करने के लिए ही नहीं कही थी हमने सारे देश की बात कही थी । बिहार में तो लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने एक कमेटी बैठा दी है । वह कमेटी भी काम करती रहे और आपका एक कमीशन आफ इन्क्वायरी भी अपना काम करता रहे और वह कमीशन इस बात की बुनियाद में जाये कि इस समस्या को किस तरह से हल किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के अत्याचारों को रोका जा सके । उन्होंने इस चीज को स्वीकार नहीं किया । ऐसी हालत में हम लोगों का यहां बैठा रहना बिल्कुल बेकार है ।

श्री चरण सिंह : उपसभापति जी यह अब एक नई डिमान्ड सामने आई है । पहले केवल बेलछी काण्ड की बात कही गई थी ।

SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY: He is misleading the House. Our Leader did not say only for Belchi.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मान्यवर हमने जो मांग की थी उसमें जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग नहीं की थी बल्कि एक कमीशन आफ इन्क्वायरी की मांग की थी जो कि इस सारे मसले के ऊपर गौर करके कोई उपाय बताये और हमारा मार्गदर्शन करे । वह कमीशन यह भी बताये कि हरिजनों के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं . . . *(Interruptions)*

श्री नागेशवर प्रसाद शाही : पिछले 30 सालों में हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए ।

SHRI HAMID ALI SCHAMNAD: That Commission should also find out how the Muslim minorities were treated during the last 30 years.

(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order. Let the Leader of the Opposition have his say.

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं यह कह रहा था कि मैंने जो मांग पेश की थी वह सिर्फ बिहार के लिए नहीं थी । मैंने एक बड़ा कमीशन बनाने की मांग की थी जो इस सारे मामले पर विचार करे । क्या हरिजनों के ऊपर कुछ ज्यादतियां बढ़ गई हैं और उनके क्या उपाय हैं लगता ऐसा मान्यवर कि गृह मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया । कदाचित उनकी भ्रांति यह रही है कि हम खाली मांग कर रहे हैं बिहार के लिये तभी उन्होंने उसका जिक्र किया । लेकिन हमारी खाली बिहार के लिये मांग थी नहीं । यह एक व्यापक मांग थी । उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया और उधर की बैंचेज पर बैठे हुए लोगों को यह चीज बहुत महसूस हुई कि यह मांग कैसे की गई और बहुत जोर-शोर से उन्होंने इसका विरोध किया ।

मान्यवर, हमारे लिये सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है--गृह मंत्री के इस उत्तर को सुनकर--कि हम इस सदन से बाहर चले जायें और यह समझ लें कि हमारी मांग स्वीकार नहीं हुई । हमारे जो भाई धरने पर बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि वह धरना समाप्त करें । हमको सरकार के रुख का पता लग गया है । अब हम आज इस सदन से वाक-आउट करते हैं ।

(At this stage some honourable Members left the Chamber).

श्री योगेन्द्र शर्मा : मान्यवर, हमारा दल भी हरिजनों के ऊपर बढ़ते हुए अत्याचारों

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

की जांच के लिये जांच कमीशन की मांग न मानने के विरोध में इस सदन से वाक-आउट करता है।

(At this stage some honourable Members left the Chamber).

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI LAL K. ADVANI): Sir, with your permission, on behalf of the Minister of Parliamentary Affairs, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing the 25th July, 1977 will consist of:

1. Discussion on the working of the Ministry of Home Affairs.

2. Consideration and return of the following Bills, as passed by the Lok Sabha:—

   (i) The Finance (No. 2) Bill, 1977.

   (ii) The Cardamom (Amendment) Bill, 1977.

   (iii) The Nagaland Appropriation (No. 2) Bill, 1977.

   (iv) The Appropriation (No. 3) Bill, 1977.

3. Consideration and passing of the National Highways (Amendment) Bill, 1977, as passed by the Lok Sabha.

STATEMENT BY MINISTER

Repayment of the second instalment of additional dearness allowance deposits under the Additional Emoluments Compulsory Deposits Act, 1974.

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI LAL K. ADVANI): Sir, on behalf of the Finance Minister, I beg to make the following statement:—

A Bill to further amend the Additional Emoluments (Compulsory Deposit) Act, 1974 was introduced in the Lok Sabha on 11th June, 1977 and was passed by the Lok Sabha on 18th June, 1977. The bill sought to replace the Ordinance issued by the Vice-President acting as President on 9th May, 1977. It provided that (i) compulsory deposit of additional dearness allowance would cease from 6th May, 1977 and (ii) repayment of the second instalment of additional dearness allowance deposits due from 6th July, 1977 would not be in cash but would be, by credit to provident fund accounts of employees. During the course of the debate in the Lok Sabha, it was suggested that the rate of interest on the proposed accretions to the provident fund should be the same as payable on the deposits impounded under the Compulsory Deposit Scheme. In order to protect the interests of employees, I readily accepted this suggestion. It will thus be seen that in bringing forward this bill. Government's intention was to meet all genuine demands of employees, consistent with the need to prevent resurgence of inflationary pressures.

A large number of representations have been received by Government from employees, employees associations, trade unions etc. welcoming the decision of Government to discontinue the impounding of additional dearness allowance from 6th May, 1977 but requesting Government to reconsider the decision to credit repayments due from 6th July, 1977 to provident fund accounts of employees. These representations have been sympathetically considered by Government Informal consultations have been held with representatives of trade unions to see if a way could be found to meet the demands of workers consistent with the